लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 18 जुलाई, 2022/ 27 आषाढ़, 1944 (शक)

संख्या 177

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. शपथ

निम्नलिखित सदस्यों ने शपथ ली, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर किए और सभा में अपना स्थान ग्रहण किया:-

क्रम सं.	संसद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र	राज्य	शपथ/ प्रतिज्ञान	भाषा
1	2	3	4	5	6
1.	श्री घनश्याम सिंह लोधी	रामपुर	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
2.	श्री दिनेश लाल यादव ''निरहुआ''	आज़मगढ़	उत्तर प्रदेश	शपथ	हिन्दी
3.	श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा	आसनसोल	पश्चिम बंगाल	शपथ	हिन्दी

पूर्वाह्न 11.07 बजे

3. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम श्री शिंजो आबे; संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान; और कीनिया के तृतीय राष्ट्रपति महामहिम श्री म्वाई किबाकी के निधन के संबंध में उल्लेख

किया।

अध्यक्ष ने श्री रविन्द्र कुमार राणा, सदस्य, चौदहवीं लोक सभा; श्री टी. बशीर, सदस्य, आठवीं और नौवीं लोक सभा; श्री नवल किशोर राय, सदस्य, दसवीं, ग्यारहवीं और तेरहवीं लोक सभा; श्री सुख राम, सदस्य, आठवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा; श्री हुसैन दलवई, सदस्य, आठवीं लोक सभा; श्री शिवाजी पटनायक, सदस्य, छठी, नौवीं, और दसवीं लोक सभा; श्री चक्र धारी सिंह, सदस्य, सातवीं लोक सभा; और श्री हरिवंश सहाय, सदस्य, ग्यारहवीं लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

4. *अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने पूर्ण सभा के अवसर पर लोक सभा के सभी सदस्यों को बधाई दी।

उन्होंने देश में कोविड टीके के 200 करोड़ डोज दिए जाने की उपलब्धि के बारे में भी उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.18 बजे

5. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी*

अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक राष्ट्रीय समारोह का अवसर है।

6. प्रश्न

चूंकि अध्यक्ष की टिप्पणी के बाद सभा स्थगित हो गई थी, अत: तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 20 को अतारांकित माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.19 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

*मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 2.00 बजे

7. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30ख, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 और कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 222(अ) जो 26 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 835(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति) विनियम, 2022 जो 25 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी022 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्र सरकार की 14.12.2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5199(अ) के साथ पठित आईएफएससीए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईज 023 जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के

राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एयरक्राफ्ट ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को 'वित्तीय उत्पाद' के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(तीन) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी024 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बैंकिंग) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी025 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वित्त कंपनी) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2022-23/जीएन/आरईजी026 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/एनआईसीसीएल/245 जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियम, 2021 के अंतर्गत एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की मान्यता के नवीनीकरण के बारे में है।

(सात) का.आ. 2374(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थानों द्वारा वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में संचालित पाठ्यक्रमों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत 'वित्तीय उत्पाद' के रूप में अधिसूचित किया गया है ।

(आठ) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/रेग023 जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें एयरक्राफ्ट ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट को वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित करने वाली 13.4.2022 की अधिसूचना का शुद्धिपत्र दिया गया है।

(नौ) अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2020-21/ एनएसई-आईएफएससी /262 जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्था) विनियम, 2021 के अंतर्गत एनएसई आईएफएससी की मान्यता के नवीनीकरण के बारे में है।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन नियम (अग्रिम विनिर्णय), 2017 जो दिनांक मार्च 31, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सामें प्रकाशित हुए थे (अ)316 .नि.का. तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन (मामलों का निपटान)नियम, 2017 जो दिनांक अप्रैल 12, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या साहुए थे में प्रकाशित (अ)349 .नि.का. तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेवा कर संशोधन नियम (अग्रिम विनिर्णय), 2017 जो दिनांक मार्च 31, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सामें (अ)317 .नि.का. प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेवा कर संशोधन नियम (मामलों का निपटान), 2017 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा .नि.का. में प्रकाशित हुए थे (अ)350 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा शुल्क संशोधन नियम (अग्रिम विनिर्णय), 2017 जो दिनांक 31 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा .नि.का. में प्रकाशित हुए थे (अ)315 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा शुल्क संशोधन नियम (मामलों का निपटान), 2017 जो दिनांक 12 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा .नि.का. में प्रकाशित हुए थे (अ)348 तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी

और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से वर्ष 2022-2023 के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसाइटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसाइटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, नोएडा के वर्ष 2018-2019 और 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, नोएडा के वर्ष 2018-2019 और 2019-20 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान, नोएडा के वर्ष 2018-2019 और 2019-20 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) गुजरात समग्र शिक्षा विद्यालय शिक्षा परिषद, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) गुजरात समग्र शिक्षा विद्यालय शिक्षा परिषद, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरूचिरापल्ली, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान तिरूचिरापल्ली, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कर्नूल के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कर्नूल के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1360 (अ) जो 25 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी डिजाइन और मैन्युफेक्चरिंग संस्थान, कुर्नूल के अध्यादेश बनाए गए हैं, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 31 की उप-धारा (2) के अंतर्गत उक्त अधिनियम से संबंधित प्रारूप अधिसूचना संख्या एफ.सं. 3/4/2022-ईएम भाग-(1) की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय आवासन बैंक की भारत में आवासन की प्रवृत्ति और प्रगति, 2020 संबंधी वर्ष 2020 और 2021 के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) लोक उद्यम सर्वेक्षण, 2020-2021 (खण्ड एक और दो की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण।

(4) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (रक्षा सेवाएं- सेना) (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 3)- आयुध सेवाओं में माल सूची प्रबंधन संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा।

(दो) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 2) सरकारी विभागों/ अभिकरणों, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय को प्रशासनिक आधार पर आवंटित स्पैक्ट्रम के प्रबंधन संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2020-2021 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग एक- समीक्षा)।

(दो) वर्ष 2020-2021 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे (भाग दो- विस्तृत विनियोग लेखे)।

(तीन) वर्ष 2020-2021 के लिए रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के विनियोग लेखे [भाग दो- विस्तृत विनियोग लेखे- (अनुलग्नक-छ)]।

(6) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम, मुम्बई के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति(हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम सामान्य (संशोधन) नियम, 2022 जो 4 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 171(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति(हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एस.डी. (बी.एस.) सं. 2823-2022/02.14.005 जो 16 मार्च, 2022 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक सामान्य विनियम, 1949 के विनियम सं. 24 में संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति(हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रयोक्ता शिकायत का समाधान) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 2.04 बजे

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'देश में पर्यटन अवसंरचना का विकास' के बारे में विभाग से संबद्ध परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 320वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य दिया।

9. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय बढ़ाया जाना

श्री बृजेन्द्र सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के मानसून सत्र, 2022 के पहले सप्ताह तक के लिए बढ़ाती है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में खेतौरी, घटवाल-घटवार और अन्य को शामिल किए जाने के बारे में ।

(2) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण होने वाली क्षति के बारे में ।

(3) श्री कृष्णपालसिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बामौरकलां में राष्ट्रीयकृत बैंक की एक शाखा खोले जाने के बारे में ।

(4) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा धोखाधड़ीपूर्ण ऋण संबंधी मोबाइल एप पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार विशेषकर दरभंगा में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति के बारें में ।

(6) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि के बारे में ।

(7) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के बेलवां सांसद आदर्श ग्राम पंचायत में डाक घर खोले जाने के बारे में ।

(8) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सोहगरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़े जाने और अन्य पर्यटन स्थलों के विकास की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा यूक्रेन से वापस आए मेडिकल के छात्रों की शिक्षा को भारतीय चिकित्सा महाविद्यालयों में जारी रखने के बारे में ।

(10) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा सिविल डिफेंस सेवा के वॉर्डनों को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के प्रावधान के बारे में ।

(11) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत किए जा रहे कार्यों के लिए निधियां जारी किए जाने के बारे में ।

(12) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी द्वारा मुंबई, महाराष्ट्र में कथित आरोपी व्यक्तियों को जमानत दिए जाने के बारे में ।

(13) श्री जुगल किशोर शर्मा द्वारा जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में उन किसानों को, जिनकी भूमि बाड़ लगाने के लिए अधिग्रहित की गई है, मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(14) श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा हैदराबाद से विजयवाड़ा तक राष्ट्रीय राजमार्ग - 65 को छह लेन का किए जाने के कार्य में तेजी लाए जाने के बारे में ।

(15) श्री गौरव गोगोई द्वारा सरूपाथर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव के बारे में ।

(16) श्री एस.आर. पार्थिबन द्वारा सलेम इस्पात संयंत्र के संविदा कामगारों के लिए ई.एस.आई. सुविधा के बारे में ।

(17) श्री महाबली सिंह द्वारा नबी नगर-बारूण सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(18) श्री मलूक नागर द्वारा गन्ना किसानों की लंबित बकाया राशि जारी किए जाने के बारे में ।

(19) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा बैंक संबंधी धोखाधड़ी के मामलों को हल करने के लिए कदम उठाए जाने के बारे में ।

(20) श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील द्वारा महाराष्ट्र के सतारा जिले में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का वेलनेस सेंटर खोले जाने के बारे में ।

(21) डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी द्वारा खाड़ी देशों से केरल के विमान किराए के बारे में।

अपराह्न 2.05 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 19 जुलाई, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 19 जुलाई, 2022/ 28 आषाढ़, 1944 (शक)

संख्या 178

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 और 22 के मौखिक उत्तर दिए गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 23 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी*

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की।

अपराह्न 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल बाईसाइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) नेशनल बाईसाइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उप-धारा 2 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1883(अ) जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा विदेशियों विषयक आदेश, 1948 के प्रयोजनार्थ न्यू जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी जिला, पश्चिम बंगाल में स्थित आव्रजन चेक पोस्ट के लिए प्रमुख आव्रजन अधिकारी, आव्रजन ब्यूरो, न्यू जलपाईगुड़ी रेल चेक पोस्ट को 20 अप्रैल, 2022 से ''सिविल प्राधिकारी'' के रूप में नियुक्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1884(अ) जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकास के लिए पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित न्यू जलपाईगुड़ी रेल चेक पोस्ट को प्राधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट के रूप में अभिहित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ज्ञापन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2021 जो 8 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 620(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कीटनाशी (संशोधन) नियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 153 (अ), जो 12 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित पदार्थों को सम्मिलित किए जाने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) हेलेन केलर्स स्कूल फॉर द डियर, कडप्पा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हेलेन केलर्स स्कूल फॉर द डियर, कडप्पा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) चैतन्य इंस्टीट्यूट फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चैतन्य इंस्टीट्यूट फॉर द लर्निंग डिसेबल्ड, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश के

वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) उत्कल कल्याण सेवा संघ, झारसुगुड़ा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्कल कल्याण सेवा संघ, झारसुगुड़ा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) प्रियदर्शिनी सेवा संगठन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रियदर्शिनी सेवा संगठन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) जीवन ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द मेंटली एण्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड, ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जीवन ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर द मेंटली एण्ड फिजिकली हैंडीकैप्ड, ढेंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एण्ड वोलंटरी एक्शन, नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एण्ड वोलंटरी एक्शन, नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की

एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) स्वयं कृषि, सिकन्दराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वयं कृषि, सिकन्दराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इन्स्टिट्यूशन फॉर द ब्लाइंड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इन्स्टिट्यूशन फॉर द ब्लाइंड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) वेलुगु, मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेलुगु, मदनपल्ली, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्सट्रक्टिव एक्टिविटिज, कटक, ओडिशा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकन्सट्रक्टिव एक्टिविटिज, कटक, ओडिशा के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) विमला महिला समाजम, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा

लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विमला महिला समाजम, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) शिशु सखा संघ, खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिशु सखा संघ, खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) नेशनल एबीलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इन्डिया केयर ऑफ अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एबीलिम्पिक एसोसिएशन ऑफ इन्डिया केयर ऑफ अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) करीमनगर जिला स्वतंत्रता सेनानी न्यास, करीमनगर, तेलंगाना के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) करीमनगर जिला स्वतंत्रता सेनानी न्यास, करीमनगर, तेलंगाना के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) विक्ट्री इंडिया चैरिटेबल टेंट ऑफ रेस्क्यू याच, कुप्पम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विक्ट्री इंडिया चैरिटेबल टेंट ऑफ रेस्क्यू याच, कुप्पम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) दि ऑल मणिपुर मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सस वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि ऑल मणिपुर मेंटली हैंडीकैप्ड पर्सस वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) बेथनी सोसायटी, ईस्ट गारो हिल्स, मेघालय के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बेथनी सोसायटी, ईस्ट गारो हिल्स, मेघालय के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) चैरिटेबल सोसायटी फॉर दि वेलफेयर ऑफ दि डिसेबल्ड, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चैरिटेबल सोसायटी फॉर दि वेलफेयर ऑफ दि डिसेबल्ड, एर्नाकुलम, केरल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, मुम्बई, महाराष्ट्र के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, मुम्बई, महाराष्ट्र के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) श्री रमण महर्षि अकैडमी फॉर द ब्लाइंड, बैंगलोर, कर्नाटक के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री रमण महर्षि अकैडमी फॉर द ब्लाइंड, बैंगलोर, कर्नाटक के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरगुजा ज्ञानोदय एसोसिएशन, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) हैंडीकैप्ड सर्विस फाउण्डेशन, खम्मान, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हैंडीकैप्ड सर्विस फाउण्डेशन, खम्मान, तेलंगाना के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकेप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन, दर्रांग, असम के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकेप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन, दर्रांग, असम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूसन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थोउबल, मणिपुर के

वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूसन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थोउबल, मणिपुर के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-22 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 26 के अंतर्गत तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2022 जो 22 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 216 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेट्री, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण

की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:-

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के ''गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ (क्यूसीसी)'' विषय के बारे में 20वां प्रतिवेदन।

(2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के ''भारतीय खाद्य निगम द्वारा खादान्नों की खरीद, भण्डारण और वितरण'' विषय के बारे में समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

6. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने 'मेट्रो रेल परियोजनाओं का कार्यान्वयन- एक मूल्यांकन' विषय के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने 'मानद/निजी विश्वविद्यालयों/अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा मानकों, प्रत्यायन प्रक्रिया, शोध, परीक्षा सुधार और शैक्षणिक परिवेश की समीक्षा' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 341वां प्रतिवेदन# (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

* तेरहवां प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 9 मई, 2022 को माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया क्योंकि उक्त प्रतिवेदन 7 अप्रैल, 2022 को लोक सभा के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के कारण उस दिन प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

यह प्रतिवेदन 4 जुलाई, 2022 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया और उसी दिन लोक सभा अध्यक्ष को अग्रेषित किया गया।

8. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का चौंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 2.04 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तिलहर रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों का ठहराव दिए जाने और स्टेशन पर रेल सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्यात संवर्धन हेतु पैकेजिंग हाउस या एक कार्यालय स्थापित किए जाने के बारे में।

(3) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के चोहिलांवाली गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक में ग्राहकों द्वारा जमा किए गए धन के कथित गबन के बारे में।

(4) श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मल-जल शोधन संयंत्रों का निर्माण किए जाने के बारे में।

(5) श्री मनोज तिवारी द्वारा दिल्ली में सरकारी विद्यालयों की स्थिति के बारे में।

(6) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा प्रस्तावित जूनागढ़-नबरंगपुर रेल लाइन का विस्तार ओडिशा के धरमगढ़ तक किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री सुनील बाबूराव मेंढे द्वारा महाराष्ट्र के भन्डारा-गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) डॉ. ढाल सिंह बिसेन द्वारा दिल्ली-नागपुर औद्योगिक गलियारा मार्ग के बारे में।

(9) श्री गुमान सिंह दामोर द्वारा मध्य प्रदेश के रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में गांवों के विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा हडपसर रेलवे स्टेशन के विकास के बारे में।

(11) डॉ. शशि थरूर द्वारा यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की स्थिति के बारे में ।

(12) डॉ. सुमति (ए) तामिझाची थंगापांडियन द्वारा एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के सदस्यों के प्रति कथित भेदभाव के बारे में ।

(13) श्री डी.एम. कथीर आनन्द द्वारा ट्रेन सेवाएं और किराए में छूट को वापस लिए जाने के बारे में।

(14) प्रो. सौगत राय द्वारा राज्यों की जीएसटी प्रतिपूर्ति का विस्तार किए जाने के बारे में।

(15) श्री विनायक राऊत द्वारा महाराष्ट्र में शहरी स्थानीय निकायों हेतु कार्यनिष्पादन अनुदान जारी करने के बारे में।

(16) श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी द्वारा बिहार के कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण प्रबंध संस्थान की स्थापना के बारे में।

(17) श्री चंद्रशेखर साहू द्वारा प्रधान मंत्री मित्र योजना के अंतर्गत राज्यों के चयन के बारे में।

(18) श्री श्याम सिंह यादव द्वारा जातिगत जनगणना के बारे में ।

(19) श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी द्वारा फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में सुधार के बारे में।

(20) एडवोकेट ए.एम. आरिफ द्वारा अग्निपथ योजना के बारे में ।

(21) श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद में विदेश से पढ़कर आए मेडिकल छात्रों का पंजीकरण किए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.05 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 20 जुलाई, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 20 जुलाई, 2022/ 29 आषाढ़, 1944 (शक)

संख्या 179

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या 42 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी*

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की।

---

* पूर्वाह्न 11.04 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 2.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) की ओर से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) का.आ. 1004(अ) जो 7 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 01 के आईटीसी एचएस 0106 90 00 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(2) का.आ. 1145(अ) जो 14 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत आयात नीति में संशोधन और नीति शर्त के अंत:स्थापन के बारे में है।

(3) का.आ. 1463(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत उड़द दाल (एसपीपी विग्ना मूंगो (एल) हिप्पर की फलियां) [आईटीसी (एचएस) कोड 0713 3110] और तूर/अरहर [आईटीसी (एचएस) कोड 0713 60 00] (केजैनस कजान) की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(4) का.आ. 1559(अ) जो 01 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अंतर्गत यूरिया [एक्जिम कोड 31021000] की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(5) का.आ. 2031(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत आईटीसी (एचएस) कोड 71123000, 71129100, 71129200, 71129910, 71129920 और 71129990 की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(6) का.आ. 2053(अ) जो 02 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 24.08.2021 की अधिसूचना सं. 20/2015-20 के अंतर्गत उपबंधों की छूट को विस्तारित किये जाने के बारे में है।

(7) का.आ. 2320(अ) जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 09 के अंतर्गत ताजा अदरक की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(8) का.आ. 2357(अ) जो 23 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 29 और 30 के अंतर्गत आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(9) का.आ. 2378(अ) जो 25 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 48 में नीति शर्त के समावेश और कागज की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।

(10) का.आ. 2821(अ) जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय-12 के आईटीसी (एचएस) कोड 1207 70 90 के अंतर्गत तरबूज बीजों की आयात नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(11) का.आ. 1549(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो विदेश व्यापार नीति 2015-20, जो 31 मार्च, 2022 तक वैध थी, का विस्तार 30 सितम्बर 2022 तक करने के बारे में है।

(12) का.आ. 1269(अ) जो 23 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018, अनुसूची-दो अध्याय-10 क्रम सं. 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

(13) का.आ. 1270(अ) जो 23 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2018 के अध्याय 29 और 38 के अंतर्गत निर्यात नीति में संशोधन और नीति शर्त के अंत:स्थापन के बारे में है।

(14) का.आ. 2162(अ) जो 9 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ग्वार गम की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(15) का.आ. 2235(अ) जो 14 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो प्याज बीजों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(16) का.आ. 2236(अ) जो 14 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(17) का.आ. 2321(अ) जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बांस चारकोल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(18) का.आ. 2375(अ) जो 25 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चीनी की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

(19) का.आ. 2985(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची दो के अध्याय 27 के एचएस कोड 27101241, 27101242, 27101243, 27101244, 27101249, 27101941, 27101944 और 27101949 के अंतर्गत मदों की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) आधार (सत्यापन और ऑफलाइन जांच) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्यांक 01) जो 04 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. के-11020/ 240 / 2021 /सत्या./यूआईडीएआई (2022 का संख्यांक 01) में प्रकाशित हुए थे।

(2) आधार (नामांकन और अपडेट) (नौंवा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्यांक 02) जो 03 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एचक्यू-16041/4/2021-ईयू-आई-एचक्यू-भाग(एक) (2022 का संख्यांक 02) में प्रकाशित हुए थे।

(3) आधार (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 (2022 का संख्यांक 03) जो 21 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2022 का संख्यांक 03) में प्रकाशित हुए थे।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2022 जो 30 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 402(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उप-धारा (4) और भारतीय तार अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (5) के आवृत्ति बैंड 433.05 से 434.79 मेगा हर्ट्ज में अल्प शक्ति रेडियो आवृत्ति उपकरण (लाइसेंस से छूट) नियम, 2022 जो 11 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 347(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) अधिसूचना सं. 17/2022-सी.ई. जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना सं. 18/2022-सी.ई. जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय कच्चे पेट्रोलियम के उत्पादन और एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) अधिसूचना सं. 19/2022-सी.ई. जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय उत्पाद शुल्क योग्य माल अर्थात् पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल को विशेष आर्थिक क्षेत्र (सीईजेड) में अवस्थित इकाइयों से निर्यात किए जाने पर उन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तथा सड़क और अवसंरचना उपकर की छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) अधिसूचना सं. 20/2022-सी.ई. जो 19 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय पेट्रोल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

* अपराह्न 2.04 बजे रखे गए।

5. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 2 फरवरी, 2022 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् सत्रहवीं लोक सभा के आठवें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 7 विधेयक सभा पटल पर रखें:-

1. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022;
2. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022;
3. जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022;
4. जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022;
5. वित्त विधेयक, 2022;
6. विनियोग विधेयक, 2022; और
7. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022.

(दो) महासचिव ने संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चार विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:-

1. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
2. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022;
3. दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022; और
4. चार्टर्ड अकाउंटेंट**,** लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन विधेयक)**,** 2022.

6. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सत्य पाल सिंह ने लोक लेखा समिति (2022-23) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:-

(1) 'मनोरंजन क्षेत्र (डीटी) में निर्धारितियों का निर्धारण' संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

(2) 'सीमित ऊंचाई सब-वे (एलएचएस) का निर्माण और उपयोग' संबंधी 52वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 2.04 बजे

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 357वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित विवरण (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि - कारण और प्रभाव' के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

8. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा 19 जुलाई, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 34वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.06 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया ने गुजरात में विशेष रूप से राजकोट और मोरबी जिलों में लिफ्ट सिंचाई सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री मोहन मंडावी ने छत्तीसगढ़ में विद्यालयों की स्थिति के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री रोड़मल नागर ने रामगंजमंडी-भोपाल रेल लाइन के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री नारणभाई काछड़िया ने गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-351 को चार लेन वाला किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे ने लातूर रेलवे स्टेशन पर पिट लाइन के निर्माण की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किशनगढ़ हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री अजय निषाद ने मुजफ्फरपुर से बरौनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-28 को चार लेन वाला किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(8) श्रीमती रमा देवी ने बिहार में लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री विष्णु दयाल राम ने झारखंड के गढ़वा जिले में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के विद्यालयों को पीएम-श्री विद्यलयों के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री चुन्नीलाल साहू ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के दावों के भुगतान के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री सुदर्शन भगत ने झारखंड के लोहरदगा जिले में अंतरराष्ट्रीय स्तर का खेल स्टेडियम निर्मित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री बिद्युत बरन महतो ने झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को भुगतान बकाया जारी किए जाने के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री रमेश बिन्द द्वारा उत्तर प्रदेश में ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर शिवगंगा एक्सप्रेस का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा आरंभ किए जाने के बारे में।

(3) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा मवेलीकारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चेन्गान्नूर में विमानपत्तन स्थापित किए जाने के बारे में।

(4) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा केरल के पलक्कड़ जिले में भवानी नदी पर पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।

(5) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा पारम्परिक भारतीय मछुआरों की दयनीय दशा के बारे में।

(6) श्री पी. वेलुसामी द्वारा कोयम्बटुर/मेत्तुपलयम और दक्षिण तमिलनाडु के बीच नियमित आरक्षित रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्री मारगनी भरत द्वारा कोक ओवन बैटरियों से संबंधित आरआईएनएल निविदा के बारे में।

(8) श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किए जाने के बारे में

(9) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में 'खेलो इंडिया योजना' के अंतर्गत खेल अवसंरचना और सुविधाएं विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) कुंवर दानिश अली द्वारा मदरसा शिक्षकों को बकाया मानदेय का भुगतान किए जाने और उनको दी जा रही मानदेय राशि को बढ़ाये जाने के बारे में।

(11) श्री के. राम मोहन नायडू द्वारा आंध्र प्रदेश में विद्यालयों के विलय के बारे में।

(12) श्री पी. रविन्द्रनाथ द्वारा तमिलनाडु में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्वीकृति के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.33 बजे स्थगित हुई

और अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

***अपराह्न 4.06 बजे**

(व्यवधान के कारण, लोक सभा गुरुवार, 21 जुलाई, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* अपराह्न 4.00 बजे से अपराह्न 4.06 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 21 जुलाई, 2022/ 30 आषाढ़, 1944 (शक)

संख्या 180

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 61 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।)

पूर्वाह्न 11.30 बजे

तारांकित प्रश्न सं. 62 (69 के साथ युग्मित), 63, 64 (67 और 73 के साथ युग्मित) के मौखिक उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 65, 66, 68, 70 से 72 और 74 से 80 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री [जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह] ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 20 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.192(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, ज्येष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियमन, 2022 जो 15 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 203(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1135(अ) जो 11 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में एनएच-150क के डिजाइन किलोमीटर 266.820 से डिजाइन किलोमीटर 308.550 तक बेल्लारी से बायरापुरा खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ. 1188(अ) जो 16 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी मोड में झारखण्ड राज्य में रांची पिस्का मोरे-बिजूपारा-कुरू (3.600 से किमी. 55.00) के लिए दिनांक 13.12.2019 के का.आ. सं. 4457(अ) में संशोधन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1203(अ) जो 17 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बीओटी(टोल) आधार पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय गलियारा एनएच-19 के पलसित से दनकुनी खण्ड के किलोमीटर 588.870 से किलोमीटर 652.700 (कुल डिजाइन लम्बाई 63.830 किमी.) की छह लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ. 1204(अ) जो 17 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बीओटी(टोल) आधार पर भारतमाला परियोजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में पानागढ़ से पलसित खण्ड परियोजना के लिए एनएच-19 के किलोमीटर 521.120 से किलोमीटर 588.870 तक उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे

में है।

(पांच) का.आ. 1374(अ) जो 25 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ईपीसी आधार पर महाराष्ट्र राज्य में एनएच-161 के डिजाइन किलोमीटर 60.725 से किलोमीटर 128.200 (वर्तमान किमी. 63.600 से किमी. 132.760) के मदेशी-वाशिम-सावरखेड़ा (हिंगोली) खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ. 1423(अ) जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में एनएच-49 (पुराना एनएच-200) के किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 68.000 (डिजाइन चैनेज किमी. 197.300 से किमी. 263.040) के कनकतोरा से झारसुगुड़ा खण्ड की परियोजना के लिए दिनांक 22.08.2019 के का.आ. सं. 3022(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में संशोधन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1424(अ) जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच-31 के डिजाइन किलोमीटर 206.050 से किलोमीटर 266.282 (वर्तमान किमी. 209.945 से किमी. 270.000) तक सिमरिया-खगड़िया खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1425(अ) जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-227 की कल्लागाम से मीनसुरूत्ती खण्ड की परियोजना के लिए डिजाइन चैनेज किलोमीटर 38.700 से किलोमीटर 98.433 तक उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1426(अ) जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-227 के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 38.700 तक त्रिची से कल्लागाम खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ. 1448(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-56 के डिजाइन किलोमीटर 459.500 से किलोमीटर 483.500 तक देवलिया से राजपिपला खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 1449(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-66 के किलोमीटर 395.000 से 460.410 तक

जनावली से पतरादेवी खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ. 1450(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-58ड़ की झाड़ौल-अम्मावेली खण्ड की परियोजना के लिए डिजाइन किलोमीटर 43.900 से किलोमीटर 91.00 (वर्तमान किमी. 51.515 से वीआर के किमी. 2.690) तक उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 1451(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच-75 (नया एनएच-39) की के सतना-बेला खण्ड की परियोजना के लिए डिजाइन किलोमीटर 155.000 से किलोमीटर 202.040 (वर्तमान किमी. 155.000 से किमी. 202.040) तक उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1452(अ) जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-930 के डिजाइन किलोमीटर 313.850 से किलोमीटर 332.160 (वर्तमान किमी. 6.145 से किमी. 21.475) तक वरोरा-वाणी खण्ड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 1535(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डीबीएफओटी पैटर्न पर बीओटी (टोल) के रूप में एनएचडीपी चरण-पांच के अंतर्गत हरियाणा-उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-2 के किलोमीटर 20.500 से किलोमीटर 200.000 तक दिल्ली-आगरा खण्ड की छह लेन परियोजना के लिए दिनांक 18.01.2010 के का.आ. सं. 104(अ) द्वारा प्रकाशित अधिसूचना में संशोधन के बारे में है।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रशुल्क का भुगतान) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/02/2022-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

2) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विपथन भुगतान निपटान प्रणाली और संबंधित मामले) विनियम, 2022 जो 22 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/260/2021/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ऑयल इण्डिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (गैस विनिमय) संशोधन विनियम, 2022 जो 6 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं. पीएनजीआरबी/फिन/9-गैस ईएक्स(2)/2021(पी-3676) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(2) भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री कौशलेन्द्र कुमार ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 62वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (स्वीकृत)' के बारे में 63वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत)' के बारे में 64वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 65वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (स्वीकृत)' के बारे में 66वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत)' के बारे में 67वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

5. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मनोज कोटक ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन[@](हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

---

[@] ये प्रतिवेदन 15 जून, 2022 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किये गये थे। उक्त प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को भी अग्रेषित की गयी थी।

(1) 'एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल सहित निर्यात हबों के रूप में जिलों (डीईएच) का क्रियान्वयन' के बारे में 170वां प्रतिवेदन।

(2) 'विशेष रूप से दार्जिलिंग क्षेत्र में भारतीय चाय उद्योग को प्रभावित करने वाले मुद्दे' के बारे में 171वां प्रतिवेदन।

(3) 'भारत में ई-कॉमर्स का संवर्धन और विनियमन' के बारे में 172वां प्रतिवेदन।

6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. जयंत कुमार राय ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 365वें प्रतिवेदन* का खण्ड-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जिसमें "वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021" के बारे में 'समिति की सिफारिशें' अंतर्विष्ट हैं, सभा पटल पर रखा।

2. 365वें प्रतिवेदन का खण्ड-दो (प्राप्त भाषा में), जिसमें 'व्यक्तियों/विशेषज्ञों/संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन' अंतर्विष्ट हैं, भी सभा पटल पर रखा।

7. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री सुरेश कुमार पुजारी ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के "मध्यकता विधेयक, 2021" के बारे में समिति के 117वें प्रतिवेदन# का खण्ड-एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

2. 117वें प्रतिवेदन का खण्ड-दो (प्राप्त भाषा में), जिसमें 'व्यक्तियों/ विशेषज्ञों/ संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन' अंतर्विष्ट हैं, भी सभा पटल पर रखा।

---

* **यह प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति के निदेश के निदेश 30(एक) के अंतर्गत 21 अप्रैल, 2022 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया और माननीय सभापति ने निदेश 30(दो) के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया और यह प्रतिवेदन उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया गया।**

\# **यह प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति के निदेश के निदेश 30(एक) के अंतर्गत 13 जुलाई, 2022 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया और माननीय सभापति ने निदेश 30(दो) के अंतर्गत इस प्रतिवेदन के प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया और यह प्रतिवेदन उसी दिन माननीय अध्यक्ष, लोक सभा को अग्रेषित किया गया।**

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह ने निम्नवलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 276वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 281वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 291वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) के बारे में विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 291वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 302वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

[%]अपराह्न 12.27 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

(1) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने जल जीवन मिशन से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में किसानों को राजसहायता प्राप्त दरों पर यूरिया, डीएपी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री मनसुखभाई डी. वसावा ने देश में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

[%] अपराह्न 12.04 बजे से अपराह्न 12.25 बजे तक और अपराह्न 12.58 बजे से अपराह्न 1.01 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

(4) श्री अर्जुन लाल मीणा ने राजस्थान के उदयपुर में हाल में हुई आतंकी गतिविधि और राज्य में आतंकवादी संगठन के बढ़ते नेटवर्क के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर ने नांदेड़-बीदर रेल लाइन परियोजना के बारे में मामला उठाया।

(6) श्रीमती केशरी देवी पटेल ने 'मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी' को 'अंतरराष्ट्रीय गीता दिवस' के रूप में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री देवजी एम. पटेल ने राजस्थान के जालौर जिले को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करने वाली रेल सेवाओं में वृद्धि के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री रतन लाल कटारिया ने हरियाणा के अंबाला में वैज्ञानिक उपकरणों संबंधी उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्रीमती जसकौर मीना ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री राम कृपाल यादव ने बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री सुब्रत पाठक ने उत्तर प्रदेश के बंजारा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री संजय भाटिया ने हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी और एनडीआरआई, करनाल में कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी पहल के बारे में मामला उठाया।

(13) डॉ. उमेश जी. जाधव ने सीसीआईएल कुरकुंटा के शीघ्र विनिवेश के बारे में मामला उठाया।

(14) सुश्री दिया कुमारी ने राजस्थान के राजसमन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

(15) श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ ने टेक्सटाइल पीएलआई योजना में प्राकृतिक रेशों को शामिल किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(16) श्री राजेन्द्र धेड्या गावित ने अमृत 2.0 स्कीम के तहत नगर जल कार्य योजना (सीडब्ल्यूएपी) के अनुमोदन के बारे में मामला उठाया।

(17) श्री दिलेश्वर कामैत ने नवोदय विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(18) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण रोकी गई ट्रेनों का संचालन पुन:आरंभ किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(19) श्री रमेश बिधूड़ी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लोगों की बिजली से संबंधित शिकायतें दूर किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(लोक सभा अपराह्न 1.05 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.17 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.17 बजे

10. सरकारी विधेयक - आस्थगित

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022

[$]डॉ. जितेन्द्र सिंह और [#]श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अध्यक्षपीठ से अनुरोध किया कि विपक्ष की अनुपस्थिति के कारण भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 पर विचार और पारित किए जाने को आस्थगित कर दिया जाए।

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 2.20 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[$] विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री

[#] संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022/ 31 आषाढ़, 1944 (शक)

संख्या 181

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 का मौखिक उत्तर दिया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.13 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

तारांकित प्रश्न सं. 82 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भारत, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान और निकोबार अधिवक्ता कल्याण निधि नियम, 2003 जो 4 जून, 2003 के अंडमान और निकोबार राजपत्र में अधिसूचना सं. 84/2003/एफ.सं. 48-739/2002-एसडब्ल्यू में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी भाषा में), जो 16 जून, 2004 की अधिसूचना सं. 120 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) चंडीगढ़ अधिवक्ता कल्याण निधि नियम, 2017 जो 8 सितंबर, 2017 के चंडीगढ़ प्रशासन राजपत्र में अधिसूचना सं. 8/1/101-1एच(8)-2017/22271 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दिल्ली अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2009 जो 8 मई, 2009 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 219/याचिका/01/उपसचिवविधि/1932-51में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दिल्ली अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 2019 जो 25 सितंबर, 2019 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 2 (22)/लिट./01/वॉल IV-19/6380-6429 में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 62 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2223(अ) जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 मई, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत किया गया है जिसको परिसीमन आयोग के आदेश जो दिनांक 14 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. ओ.एन.6(अ) और 5 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. ओ.एन.17(अ) में क्रमश: दिनांक 14 मार्च, 2022 का आदेश सं. 1 और दिनांक 5 मई, 2022 का आदेश सं. 2 के रूप में प्रकाशित हुए थे, प्रभावी होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा 2 के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन अधिनियम, 2019 की धारा 60 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. ओ.एन.6(अ) जो 14 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो सहयुक्त सदस्यों के विमत प्रस्ताव के साथ जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में है तथा जो 21 मार्च, 2022 (सोमवार) को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जब उस तारीख या उसके पश्चात् इसके द्वारा प्रस्तावों पर आगे विचार किया गया जायेगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उप-धारा (1) और जम्मू-कश्मीर पुनगर्ठन अधिनियम, 2019 के भाग-पांच के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. ओ.एन.17(अ) जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इण्डिया सेंटर फॉर माइग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इण्डिया सेंटर फॉर माइग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय सांस्कृतिक सम्बंध परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) छावनी बोर्ड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बैंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) विनियम, 2022, जो 6 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या एफ. सं.एसटीडीएस/एसपी-05/ए-1.वाई(01) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 69 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग तीसरा (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2022, जो 23 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2360(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चिकित्सा उपकरण (तीसरा संशोधन) नियम, 2022, जो 18 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) ओषधि (चौथा संशोधन) नियम, 2021, जो 18 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) चिकित्सा उपकरण (चौथा संशोधन) नियम, 2022, जो 15 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 450(अ) में प्रकाशित हुए थे।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल एडोप्शन रिसोर्स अथोरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने 'भारत और द्विपक्षीय निवेश संधियां' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी ने "चीन, पाकिस्तान और भूटान के साथ की गई संधि/समझौते के विशेष संदर्भ में जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों सहित देश में बाढ़ प्रबंधन'' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.03 बजे

6. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 25 जुलाई, 2022 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

7. लोक लेखा समिति के साथ राज्य सभा के एक सदस्य के सहयोजन के लिए प्रस्ताव

डॉ. सत्य पाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा श्री वी. विजयसाई रेड्डी, जो राज्य सभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, *के स्थान पर* सभा की लोक लेखा समिति के शेष कार्यकाल के लिए समिति के साथ सहयोजित करने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने पर सहमत हो और राज्य सभा इस प्रकार से नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय बढ़ाया जाना

डॉ. संजय जायसवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को, जिसे इस सभा द्वारा 18 जुलाई, 2022 को स्वीकृत प्रस्ताव द्वारा वर्तमान सत्र के पहले सप्ताह तक के लिए बढ़ाया गया था, संसद के मानसून सत्र, 2022 के अन्तिम सप्ताह तक के लिए बढ़ाती है।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या) ने एटा से आगरा होते हुए दिल्ली तक एक रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री सुशील कुमार सिंह ने बिहटा-औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री पल्लब लोचन दास ने असम के बिस्वनाथ चरियाली तथा गोहपुर रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री राहुल कस्वां द्वारा धोखाधड़ी वाली पोंजी स्कीम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रभावी कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री अनुराग शर्मा द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को ग्वालियर-झांसी-कानपुर एक्सप्रेस-वे से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखंड की 'भुईन्हर मुंडा'/भुईन्हर जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा ऑनलाइन गेम्स के लिए एक नियामक बोर्ड स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री के. मुरलीधरन द्वारा कादिरूर में कलारी अकादमी एवं संग्रहालय की स्थापना के बारे में।

(6) डॉ. डी. रविकुमार द्वारा नौकरियों में आरक्षण एवं पदोन्नति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में ।

(7) डॉ. वी. कलानिधि द्वारा भारतीय नागरिक अधिनियम, 1955 के तहत भारत लौटने वाले श्रीलंकाई तमिलों को नागरिकता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले वृत्तचित्रों के निर्माण के खिलाफ उपयुक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री हिबी ईडन द्वारा मिट्टी के तेल की कीमतों में वृद्धि के बारे में ।

(10) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा कालानमक चावल को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम (एपीईडीए एक्ट) के अंतर्गत विशेष उत्पादों की सूची में शामिल करने के बारे में ।

(11) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के घटिया निर्माण के बारे में।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.12 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

10. अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

अध्यक्षपीठ ने निम्नलिखित घोषणा की:-

"माननीय सदस्यगण, मुझे आपको यह सूचित करना है कि लोक सभा की बैठक सोमवार, 25 जुलाई 2022 को अपराह्न 2.00 बजे आरम्भ होगी।"

अपराह्न 2.02 बजे

11. सरकारी विधेयक- पारित

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022

आबंटित समय: 2 घण्टे

लिया गया समय: 36 मिनट

डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री जयंत सिन्हा
2. श्री भर्तृहरि महताब

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड 2 से 5 को स्वीकृत हुए।

खण्ड 6 से 57 को स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 2.38 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 25 जुलाई, 2022 के अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार – भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 25 जुलाई, 2022/ 3 श्रावण, 1944 (शक)

संख्या 182

अपराह्न 2.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से श्री नीरज चोपड़ा को भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत का पहला रजत पदक जीतने के लिए बधाई दी।

अध्यक्ष ने सभा की ओर से श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के लिए भी बधाई दी।

अपराह्न 2.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 से 103 के मौखिक उत्तर दिये गये।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.22 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 3.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

तारांकित प्रश्न सं. 104 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. *अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाये रखने की अपील की।

अपराह्न 3.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इन्द्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 5 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी.081 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (परिसमापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 28 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी.082 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी.084 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना यूटीलिटी) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी.085 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी.086 में प्रकाशित हुए थे।

---

* अपराह्न 2.15 बजे की गई। मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (निरीक्षण और जांच) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी.087 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला वृत्तिक) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी.088 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला संबंधी वृत्तिक अभिकरण) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी.089 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 6 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2022-23/जीएन/आरईजी.090 में प्रकाशित हुए थे।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निधि (संशोधन) नियम, 2022 जो 19 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 301(अ) में प्रकाशित हुए थे, एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पहचानविहीन आयकर प्राधिकारियों का न्यायाधिकार क्षेत्र योजना, 2022 जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1400(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 229(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर वंचनीय आंकलन का ई-आंकलन योजना, 2022 जो 29 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1466(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) पहचानविहीन जांच या मूल्यांकन योजना, 2022 जो 30 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1468(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) आयकर (छठा संशोधन) नियम, 2022 जो 04 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 256(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) आयकर (सातवां संशोधन) नियम, 2022 जो 05 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 274(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) ई-विवाद समाधान योजना, 2022 जो 05 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1642(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठवां) आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 2022 जो 06 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 275(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) आयकर (नौवां संशोधन) नियम, 2022 जो 21 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 307(अ) में प्रकाशित हुए थे और जिसका शुद्धिपत्र 25 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 313(अ) में प्रकाशित हुआ था, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) आयकर (दसवां संशोधन) नियम, 2022 जो 22 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) आयकर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 325(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 06 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 341(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 09 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 343(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) आयकर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 10 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 346(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) पहचानविहीन शास्ति (संशोधन) योजना, 2022 जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2425(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 2426(अ) जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 12 जनवरी, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ. 118(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) आयकर (सोलहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 404(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का.आ. 2735(अ) जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसके द्वारा 05 जून, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1790(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) आयकर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 16 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 455(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) आयकर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 458(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपाबंधों का शिथिलीकरण) अधिनियम, 2020 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1440(अ) जो 29 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा घोषणा दायर करने की तारीख अधिसूचित की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ((हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्का निर्माण (श्री गुरू तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 295 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का निर्माण (दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 22 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 311 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्का निर्माण (श्री जवाहर लाल दर्डा की जन्म-शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 317 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्का निर्माण (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की के 175 वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 27 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 478 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सिक्का निर्माण (राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 04 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 508 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 249(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं.52/2003-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 278(अ) जो 06 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं.40/2015-सीमा शुल्क में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 501(अ) जो 01 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उनमें उल्लिखित छह अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 247(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 31.03.2021 की अधिसूचना सं.25/2021-सीमा शुल्क को संशोधित करना है ताकि भारत-मॉरिशस समग्र आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के अनुसार मॉरिशस से आयातित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में कर छूटों को सघन किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 297(अ) जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 सितम्बर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, कच्चे कपास के आयात पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से अस्थायी छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 328(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत यूएई समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) के संबंध में प्रशुल्क छूट के पहले भाग को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 326(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं में तकनीकी और परिणामवर्ती संशोधन करने हैं ताकि उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित एचएस

कोड को वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा किये गये परिवर्तनों, जो 1 मई, 2022 से प्रभावी हैं, के संगत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 327(अ) जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 02 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा-शुल्क में तकनीकी और परिणामवर्ती संशोधन करने हैं ताकि उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित एचएस कोड को वित्त अधिनियम, 2022 द्वारा किये गये परिवर्तनों, जो 1 मई, 2022 से प्रभावी हैं, के संगत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 376(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल पर 13 रूपये प्रति लीटर से 5 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर 8 रूपये प्रति लीटर से 2 रूपये प्रति लीटर के अतिरिक्त सीमा-शुल्क के रूप में संकलित सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 378(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क को और संशोधित करना है, ताकि इस्पात और प्लास्टिक उद्योग द्वारा प्रयुक्त कतिपय कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर आधारभूत सीमा-शुल्क को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 379(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 01 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 11/2021-सीमा-शुल्क को और संशोधित करना है, ताकि एंथ्रेसाइट/कोकिंग कोल पर कृषि और अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 380(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची को संशोधित करना है, ताकि इस्पात उद्योग की कतिपय कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि और उद्ग्रहण किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 381(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 01 मार्च, 2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमा-शुल्क को संशोधित करना है, ताकि इस्पात उद्योग की कतिपय कच्ची सामग्री और मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 392(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे

तथा जिनका आशय क्रूड सूरजमुखी तेल और क्रूड सोयाबीन तेल, दोनों के लिए 20 एलएमटी प्रति वित्त वर्ष प्रति खाद्य तेल का वैश्विक प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) प्रदान करना है ताकि ऐसे आयातों को 25 मई, 2022 से प्रभावी 2 वर्षों की अवधि के लिए, जो वित्त वर्ष 2022-23 है, आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसरंचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से पूर्ण छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 428(अ) जो 7 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा-शुल्क को संशोधित करना है, ताकि अन्तिम मेगा पावर स्थिति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की समय अवधि 120 माह से 156 माह तक और प्रावधिक मेगा पावर परियोजनाओं के मामले में सावधि जमा रसीद या बैंक गारंटी के रूप में सुरक्षा की वैधता की अवधि को 126 माह से 162 माह तक विस्तारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि. 500(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोलियम और क्रूड और एटीएफ को उक्त सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत उद्ग्राह्य अतिरिक्त सीमा-शुल्क, जो विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के समकक्ष है, से पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि. 486(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वर्ण पर बीसीडी दर को 7.5 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत बढ़ाकर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि. 487(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्वर्ण आयात को समाज कल्याण अधिभार से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि. 488(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पुनर्भरण योजना के अंतर्गत आयातित स्वर्ण पर प्रयोज्य बीसीडी छूट की दर को 6.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.85 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि. 489(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-यूएई सीईपीए के टीआरक्यू के अंतर्गत आयातित स्वर्ण पर बीसीडी दर को 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 11.5 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि. 509(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 अक्तूबर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित

है, कच्चे कपास के आयात पर आधारभूत सीमा-शुल्क (बीसीडी) और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 733(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सेनवेट क्रेडिट नियम, 2017 जो 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 734(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपील) संशोधन नियम, 2017 जो 23 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1442(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2017 जो 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 490(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 491(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं. 05/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 492(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्प्रीट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीजल के लिये, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने पर, विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 493(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची को संशोधित करके क्रूड पेट्रोलियम और एटीफ पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 494(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम, जिसका पिछले वित्त वर्ष में उक्त वस्तुओं का वार्षिक उत्पादन 2 मिलियन बैरल से कम था, को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 495(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा पिछले वित्त वर्ष में उत्पादित क्रूड पेट्रोलियम से अतिरिक्त है, को विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 496(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और डीजल पर प्रयोज्य शुल्कों जैसे आधारभूत उत्पाद शुल्क और कृषि अवसंरचना विकास उपकर तथा एटीएफ पर आधारभूत उत्पाद शुल्क से, निर्यात के लिये क्लियर किये जाने पर, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 497(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एविएशन टर्बाइन ईंधन को पूर्ण अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने के मामले के अलावा, छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 498(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मोटर स्प्रीट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीजल के लिये, निर्यात हेतु क्लियर किये जाने पर, सड़क और अवसरंचना उपकर की दरें विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 499(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 04/2019-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सड़क और अवसंरचना उपकर) को संशोधित करना है ताकि निर्यात के लिये क्लियर की गयी वस्तुओं के लिए उक्त अधिसूचना के उपबंधों को अपवर्जित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 377(अ) जो 21 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल पर 13 रूपये प्रति लीटर से 5 रूपये प्रति लीटर और डीजल पर 8 रूपये प्रति लीटर से 2 रूपये प्रति लीटर के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में लिए जा रहे सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) को कम करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) उपर्युक्त (5) की मद सं. (1) से (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि.246(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल और बांग्लादेश से आयातित जूट उत्पादों पर दिनांक

05.01.2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-सी.शु.(एडीडी) द्वारा आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण को 31 अगस्त, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, विस्तारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि.321(अ) जो 28 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "एन,एन'-डाइसाइक्लोहेक्सिलकार्बोडिमाइड (डीसीसी)" पर 27 अप्रैल, 2027 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि.350(अ) जो 11 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 21/2017-सीमा-शुल्क(एडीडी) को निरस्त करना है ताकि चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित एमॉक्सीलीन, जिसे एमॉक्सीलीनट्राइहाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है पर एडीडी के उद्ग्रहण को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 374(अ) जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से ''पॉलीयूरेथेन लेदर जिसमें पॉलीयूरेथेन के साथ एक तरफ या दोनों तरफ लेपित किसी भी प्रकार का कपड़ा शामिल है'', के आयात पर 19 मई, 2027 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 387(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ड्यूटी टेबल पर बदलाव के लिए 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. 77/2021-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है। उपरोक्त अधिसूचना के तहत चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित ''डेकोर पेपर'' पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 388(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर की सिफारिश पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित ''सेरामिक टेबलवेयर और किचनवेयर, चाकू और शौचालय की वस्तुओं को छोड़कर'' 'के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 403(अ) जो 30 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अनुरोध पर यूरोपीय संघ, कोरिया गणराज्य या थाईलैंड से उद्भूत या वहां से निर्यातित ''1500 श्रेणी और 1700 श्रेणी के स्टाईरीन बुटेडाईन रबर (एसबीआर)'' के आयात पर 30

अगस्त, 2017 की अधिसूचना सं. 43/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को और आगे 31 अक्टूबर, 2022 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 406(अ) जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल और बंग्लादेश से आयातित जूट उत्पादों पर 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को और आगे 30 नवम्बर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 417(अ) जो 3 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 3/2018-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करके चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई) के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क आगे जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.430(अ) जो 8 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के अनुरोध पर, चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ''नये/अप्रयुक्त न्यूमेटिक रेडियल टायर्स, चाहे वे ट्यूब सहित हों या नहीं, और/या रबर फ्लैप (जिसमें ट्यूबलेस टायर्स भी शामिल हैं), जिनका नार्मल रिम डायाकोड 16'' से अधिक हो, जो कि बसों और लॉरियों/ट्रकों में प्रयुक्त होते हैं, के आयात पर 18 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-सीमाशुल्क (एडीडी) के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 17 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 451(अ) जो 15 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित 'फ्लोरो बैकशीट', पारदर्शी को छोड़कर, पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 323(अ) जो 18 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम से उद्भूत या वहां से निर्यातित ''कॉपर ट्यूबों और पाइपों'' के आयात पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिकारी शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 414(अ) जो 2 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से सैकरीन पर लगाए गए प्रतिकारी शुल्क के कथित वंचन के संबंध में अपवंचन जांच के पूरा होने तक, थाईलैंड से भारत में निर्यात किए गए सैकरीन का अनंतिम निर्धारण करना है तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 236(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 01/2017-केन्द्रीय कर(दर) दिनांक 28 जून, 2017 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 237(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिये ईंटों की अंतर्राज्यीय आपूर्ति के लिये 3 प्रतिशत की रियायती दर का प्रावधान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 242(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 10/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 7 मार्च, 2019 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 243(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को लागू करने के लिए अधिसूचना सं. 14/2019-केन्द्रीय कर दिनांक 7 मार्च, 2019 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 354(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अप्रैल, 2022 माह के लिये फॉर्म जीएसटीआर-3ख को फाइल करने की नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 355(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्यूआरएमपी योजना के अधीन आने वाले करदाताओं द्वारा अप्रैल, 2022 माह के लिये फॉर्म जीएसटी पीएमटी-06 में

कर के भुगतान की नियत तिथि को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 397(अ) जो 26 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये फॉर्म जीएसटीआर-4 को फाइल करने में विलंब के लिये 01.05.2022 से 30.06.2022 तक की अवधि के लिये धारा 47 के अंतर्गत विलंब शुल्क में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 3070(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त अधिनियम, 2022 की धारा 110 तथा 111 के खण्ड (ग) के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 513(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक विवरणी फाइल करने की आवश्यकता से 2 करोड़ रूपये तक के एएटीओ वाले करदाताओं को छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 514(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जून, 2022 को समाप्त तिमाही के लिये फॉर्म जीएसटी सीएमपी-08 प्रस्तुत करने की नियत तिथि को 31.07.2022 तक आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि. 515(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये फॉर्म जीएसटीआर-4 को फाइल करने में विलंब के लिये विलंब शुल्क में छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 516(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 168क के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए निर्दिष्ट अनुपालनों की तिथियों को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 517(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 में संशोधन (पहला संशोधन, 2022) करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 238(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिये विशेष संरचना योजना के संबंध में जीएसटी परिषद द्वारा आयोजित 45वीं बैठक में संस्तुत परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 239(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिए ईंटों की अंतर्राज्य आपूर्ति के लिए 6% की रिआयती दर को सशर्त बनाने का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 240(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 01/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 241(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत आईटीसी का उपयोग न करने के लिए ईंटों की अंतर्राज्य आपूर्ति के लिए 3% की रिआयती दर को सशर्त बनाने का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 244(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना के संबंध में 45वीं बैठक में जीएसटी परिषद् द्वारा यथासंस्तुत परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 02/2019-संघ राज्यक्षेत्र कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 245(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईंट भट्टों के लिए विशेष संरचना योजना को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 02/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ़ेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ़ेडरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता सन्नियम और पद्यति) संशोधन विनियम, 2022 जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एनसीईटी-रेग/012/13/202-रेग.सेक.-एचक्यू में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई

को दर्शाने वाला विवरण।

(4) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(5) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'जम्मू और कश्मीर में पर्यटन का विकास' के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 270वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 280वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'देश में पर्यटक स्थलों की सम्भाव्यता-कनेक्टिविटी और पहुंच' के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'देश में पर्यटक स्थलों की सम्भाव्यता-कनेक्टिविटी और पहुंच' के बारे में विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

8. केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री जी. किशन रेड्डी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"भारत सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संकल्प सं. टी-17019/7/2019-ईई, दिनांक 19 मई, 2022 के पैराग्राफ 9 के उपबंध के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संकल्प के अन्य उपबंधों के अध्यधीन केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.07 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल ने महेसाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र स्थित एफसीआई गोदाम को दूसरी जगह ले जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री अर्जुन लाल मीणा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(3) श्री उदय प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के बारे में मामला उठाया।

(4) श्री छेदी पासवान ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से विभूषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) डॉ. उमेश जी. जाधव ने गुलबर्गा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेलो इंडिया योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर के खेल महाविद्यालय एवं खेल अवसंरचना स्थापित किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(6) श्री तीरथ सिंह रावत ने सर्वव्यापी रक्तदान कार्ड के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री राजू बिष्ट ने चाय एवं सिन्कोना बागान कामगारों को प्रजा पट्टा भूमि अधिकार प्रदान किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री सुनील कुमार सिंह ने झारखण्ड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अत्यल्प वर्षा से परेशान किसानों को सहायता प्रदान किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के थराद में एक नवोदय विद्यालय की स्थापना के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री मितेष रमेशभाई पटेल ने गुजरात के आनंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल फ्लाईओवरों के निर्माण में तेजी लाने के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ में 'जल जीवन मिशन' के कार्यान्वयन के बारे में मामला उठाया।

(12) श्रीमती रीती पाठक ने मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में प्रधान मंत्री आवास योजना और सौभाग्य योजना के लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री जगदम्बिका पाल ने उत्तर प्रदेश में कम वर्षा के कारण संकटग्रस्त किसानों को मुआवजा प्रदान किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री देवेन्द्र सिंह भोले सिंह ने उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ स्पीच एंड हियरिंग की स्थापना की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी ने पूर्व तटीय नहर का पुनरुद्धार किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(16) श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कोल ब्लॉकों के आवंटन में कथित अनियमितताओं के बारे में मामला उठाया।

(17) श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने थल सेना की भर्ती में आयु सीमा में छूट देने के बारे में मामला उठाया।

(18) श्री कौशलेन्द्र कुमार ने बिहार में मनरेगा के अन्तर्गत मजदूरी और कार्य दिवसों में वृद्धि किए जाने के बारे में मामला उठाया।

(19) श्रीमती मंजुलता मंडल ने भद्रक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतमाला परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे।

(1) श्री चन्दन सिंह द्वारा बिहार में कोरोना के कारण हुई मौतों के बारे में।

(2) डॉ. ए. चेल्लाकुमार द्वारा अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डाले जाने के बारे में।

(3) डॉ. शशि थरूर द्वारा नेमोम कोचिंग/सैटेलाइट टर्मिनल परियोजना के बारे में।

(4) श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील द्वारा मराठी भाषा को श्रेण्य भाषा का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 3.46 बजे

10. नियम 374 (2) के अंतर्गत सभा की सेवा से सदस्यों का निलंबन

अध्यक्षपीठ ने सभा की कार्यवाही में लगातार और जानबूझकर बाधा डालकर सभा के नियमों का उल्लंघन करने और अध्यक्षपीठ के प्राधिकार का अनादर करने के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 374 के अंतर्गत निम्नलिखित सदस्यों का नाम लिया:-

1. श्री मणिक्कम टैगोर बी.
2. श्री टी.एन. प्रथापन
3. सुश्री एस. जोतिमणि
4. सुश्री राम्या हरिदास

तत्पश्चात्, संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

''कि यह सभा श्री मणिक्कम टैगोर बी., श्री टी.एन. प्रथापन, सुश्री एस. जोतिमणि और सुश्री राम्या हरिदास के कदाचार तथा सभा और अध्यक्षपीठ के प्राधिकार का अनादर किए जाने को गंभीरता से लेते हुए तथा अध्यक्षपीठ द्वारा नाम लिए जाने पर संकल्प करती है कि श्री मणिक्कम टैगोर बी., श्री टी.एन. प्रथापन, सुश्री एस. जोतिमणि और सुश्री राम्या हरिदास को नियम 374 (2) के अंतर्गत सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए।''

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.51 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा मंगलवार, 26 जुलाई, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 26 जुलाई, 2022/ 4 श्रावण, 1944 (शक)

संख्या 183

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने सभा की ओर से कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

तत्पश्चात्, सदस्य कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121 और 122 के मौखिक उत्तर दिये गये।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.10 बजे *स्थगित हुई और* पूर्वाह्न 11.45 बजे *पुनः समवेत हुई।)*

पूर्वाह्न 11.45 बजे

तारांकित प्रश्न संख्या 124 और 125 के मौखिक उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 125 से 140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1490 और 1492 से 1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

1 (एक) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लद्दाख संघ-राज्यक्षेत्र पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) योजना, 2022 (अंग्रेजी संस्करण में) जो दिनांक 21.2.2022 के लद्दाख राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 20 में प्रकाशित हुई थी और जिनका हिन्दी संस्करण दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित हुआ था तथा उसका एक शुद्धिपत्र (केवल अंग्रेजी संस्करण में) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना सं. एसजी-एलडी-ई-26042022-107 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति।

(6) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1729(अ) जो 8 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 32 पर ''हाफिज तल्हा सईद'' का नाम जोड़ा गया है।

(दो) का.आ. 1735(अ) जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 33 पर ''मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर @मकतब अमीर @मुजाहिद भाई @मुहम्मद भाई @एम. अम्मार @अबू अम्मार माडम @औरंगजेब अंजार @मौलाना अम्मार मदनी @मौलाना अम्मार @अबू अम्मार @अम्मार अल्वी'' का नाम जोड़ा गया है।

(तीन) का.आ. 1768(अ) जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 34 पर ''अली कासिफ जान @जान अली कासिफ'' का नाम जोड़ा गया है।

(चार) का.आ. 1820(अ) जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 35 पर ''मुश्ताक अहमद जरगर @लतराम'' का नाम जोड़ा गया है।

(पांच) का.आ. 1737(अ) जो 18 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 36 पर ''आशिक अहमद नींगरू @नेंगरू @अशाक हुसैन नेंगरू @अशाक मौलवी'' का नाम जोड़ा गया है।

(छह) का.आ. 1857(अ) जो 19 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 37 पर ''शेख सज्जाद @शेख सज्जाद गुल @सज्जाद गुल @सज्जाद अह शेख'' का नाम जोड़ा गया है।

(सात) का.आ. 1876(अ) जो 19 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा विधि विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 38 पर ''अर्जुमन्द गुलजार डार @हमज़ा बुरहान @डॉक्टर'' का नाम जोड़ा गया है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहैबिलिटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, कोल्लम के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तटीय जलकृषि प्राधिकरण, चेन्नई के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 तक के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने "अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन के विशेष संदर्भ सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में स्वायत्तशासी निकायों, लोक उद्यमों, शैक्षणिक संस्थाओं तथा एम्स सहित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों की भूमिका" विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन

डॉ. सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का पांचवां, छठा और सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रितेश पाण्डेय ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) का 82वां, 83वां, 84वां और 85वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा ने "एमएसएमई क्षेत्र को ऋण प्रवाह का सुदृढ़ीकरण" विषय के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 46वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री गुमान सिंह दामोर ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित आगे की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) जल शक्ति मंत्रालय - जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 'अनुदानों की मांगों' (2021-22) के बारे में 10वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वें प्रतिवेदन पर आगे की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

(दो) जल शक्ति मंत्रालय - पेयजल और स्वच्छता विभाग की 'अनुदानों की मांगों' (2021-22) के बारे में 11वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वें प्रतिवेदन पर आगे की-गई-कार्रवाई संबंधी विवरण।

---

* 46वां प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 8 अप्रैल, 2022 को माननीय अध्यक्ष (17वीं लोक सभा) को तब प्रस्तुत किया गया, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और माननीय सभापति, राज्य सभा द्वारा इसका 13 अप्रैल, 2022 को अवलोकन किया गया था। अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत उक्त प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

***अपराह्न 12.04 बजे**

10. मंत्री द्वारा वक्तव्य

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.06 बजे *स्थगित हुई और* अपराह्न 2.00 बजे *पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

(1) श्री भोला सिंह ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में रिंग रोड के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

(2) श्री अरुण कुमार सागर ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के बारे में मामला उठाया ।

(3) श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने नीतिगत सुधारों पर विशेषज्ञों और प्रभावित हितधारकों के साथ चर्चा और वार्ता के बारे में मामला उठाया ।

(4) श्रीमती रमा देवी ने बिहार के शिवहर जिले को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(5) श्री गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा जिले में केन्द्र सरकार द्वारा राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक अस्पताल एवं राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान को विकसित किये जाने के बारे में मामला उठाया।

---

* अपराह्न 12.05 बजे से अपराह्न 12.06 बजे तक, सदस्य ने अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाया।

(6) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील ने अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएच-561ए के अहमदनगर-करमाला-तेम्भुरनी खंड को चार लेन वाला बनाये जाने के बारे में मामला उठाया।

(7) श्री राहुल कस्वां ने राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के बारे में मामला उठाया।

(8) श्री सुनील कुमार सोनी ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 28 को निरस्त करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(9) श्री रामचरण बोहरा ने राजस्थान से अंतर्राज्यीय घरेलू हवाई सेवाओं के संचालन के बारे में मामला उठाया।

(10) श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू ने खड़गपुर और विजयवाड़ा के मध्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के क्रियान्वयन के बारे में मामला उठाया।

(11) श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे ने महाराष्ट्र में हातकणंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शिरोला नाग पंचमी उत्सव के आयोजन की अनुमति देने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

(12) श्री सुनील कुमार ने माता वैष्णो देवी की तर्ज पर बिहार में धार्मिक आकर्षण स्थल सोमेश्वर पर्वत के विकास के बारे में मामला उठाया।

(13) श्री महेश साहू ने धेन्कानल से चेन्नई के लिए नई रेलगाड़ी चलाये जाने के बारे में मामला उठाया।

(14) श्री पी. रविन्द्रनाथ ने देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिला स्तरीय कोचिंग सेंटर स्थापित करने के बारे में मामला उठाया।

(15) श्री हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सड़कों के कथित घटिया निर्माण के बारे में मामला उठाया।

(16) डॉ. जय सिद्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी ने महाराष्ट्र में अनार पर बोरर पेस्ट के आक्रमण से परेशान अनार किसानों को राहत एवं सहायता प्रदान करने के लिए मामला उठाया।

(17) श्री के. नवासखनी ने रामानाथपुरम जिले में जूलीफ्लोरा को हटाने की योजना के क्रियान्वयन एवं ग्रोव वन की स्थापना के लिए निधि आवंटन के बारे में मामला उठाया।

अपराह्न 2.31 बजे

12. सरकारी विधेयक - पारित

कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

आबंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 3 घंटे 34 मिनट

श्री किरेन रिजीजू ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्रीमती सुनीता दुग्गल
2. श्री कौशलेन्द्र कुमार
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
5. श्री रितेश पाण्डेय
6. श्री जयदेव गल्ला
7. डॉ. राजदीप राय
8. श्री हनुमान बेनीवाल
9. श्री पी. रविन्द्रनाथ
10. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी
11. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
12. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
13. श्री राजीव प्रताप रूडी
14. कुंवर दानिश अली
15. डॉ. निशिकांत दुबे
16. डॉ. एस.टी. हसन
17. श्री शंकर लालवानी
18. श्रीमती नवनित रवि राणा
19. श्री सुरेश कुमार पुजारी

20. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
21. श्री पी.पी. चौधरी
22. श्री अनुभव मोहंती

श्री किरेन रिजीजू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री किरेन रिजीजू द्वारा विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.05 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा बुधवार, 27 जुलाई, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 27 जुलाई, 2022/ 5 श्रावण, 1944 (शक)

संख्या 184

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने मोजाम्बिक गणराज्य की असेम्बली की स्पीकर महामहिम सुश्री ऐस्पेरांका बियास तथा मोजाम्बिक के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्य, जो सम्मानित अतिथियों के रूप में भारत दौरे पर आये हैं, के स्वागत संबंधी घोषणा की।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 और 142 के मौखिक उत्तर दिये गये।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.17 बजे *स्थगित हुई और* मध्याह्न 12.00 बजे *पुनः समवेत हुई।)*

मध्याह्न 12.00 बजे

तारांकित प्रश्न सं. 143 से 146 और 148 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गये।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1679 और 1681 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने संसद सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाये रखने की अपील की।

---

* पूर्वाह्न 11.14 बजे। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) नें निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2022 जो 10 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2022 जो 10 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 441(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2022 जो 13 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 445(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2022 जो 13 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 446(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

सा.का.नि. 473(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन विनियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 474(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) संशोधन नियम, 2022 जो 28 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 226(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत विवाद निवारण आयोग (गुप 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 484 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपभोक्ता संरक्षण (मध्यकता) संशोधन विनियम, 2022 जो 6 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ए-119/एमसी/एनसीडीआरसी/2020 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्या मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

पंद्रहवीं लोक सभा

1.	विवरण सं. 33	सातवां सत्र, 2011
2.	विवरण सं. 40	आठवां सत्र, 2011
3.	विवरण सं. 34	नौवां सत्र, 2011
4.	विवरण सं. 35	दसवां सत्र, 2012
5.	विवरण सं. 31	बारहवां सत्र, 2012

सोलहवीं लोक सभा

6.	विवरण सं. 29	दूसरा सत्र, 2019
7.	विवरण सं. 30	तीसरा सत्र, 2014
8.	विवरण सं. 25	छठा सत्र, 2015
9.	विवरण सं. 22	सातवां सत्र, 2016
10.	विवरण सं. 24	आठवां सत्र, 2016
11.	विवरण सं. 24	नौवां सत्र, 2016
12.	विवरण सं. 19	दसवां सत्र, 2016
13.	विवरण सं. 22	ग्यारहवां सत्र, 2017
14.	विवरण सं. 21	बारहवां सत्र, 2017
15.	विवरण सं. 16	तेरहवां सत्र, 2017-18
16.	विवरण सं. 17	चौदहवां सत्र, 2018
17.	विवरण सं. 17	पंद्रहवां सत्र, 2018
18.	विवरण सं. 14	सोलहवां सत्र, 2018-19

सत्रहवीं लोक सभा

19.	विवरण सं. 14	पहला सत्र, 2019
20.	विवरण सं. 11	दूसरा सत्र, 2019
21.	विवरण सं. 10	तीसरा सत्र, 2020
22.	विवरण सं. 10	चौथा सत्र, 2020
23.	विवरण सं. 9	पांचवां सत्र, 2021
24.	विवरण सं. 8	छठा सत्र, 2021
25.	विवरण सं. 2	सातवां सत्र, 2021
26.	विवरण सं. 2	आठवां सत्र, 2021

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्यं मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) कोयला खान भविष्य निधि संगठन, धनबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 196 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2368(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो कतिपय मदों में सीआरएस मंजूरी के वितरण के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिंदुस्तान खाद्य तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिंदुस्तान खाद्य तेल निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 की उप-धारा (3) के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) (संशोधन) नियम, 2022 जो 23 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 384(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2780(अ) जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएमटीसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) डिजिटल इंडिया निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) डिजिटल इंडिया निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसायटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) सेंटर फॉर मैटीरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट), पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मैटीरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मेट), पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सेंटर फॉर डवपलमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डवपलमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 के लिए निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अंतर्गत भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2022, जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 375 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री तापिर गाव ने 'नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-2023) का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री शिवकुमार सी. उदासी ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(एक) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय - एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

(दो) विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के तेईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय - एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई।

अपराह्न 12.04 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने 'एमपी लैड निधि का निलंबन' के बारे में श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 685 के 20.07.2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखा।

(2) संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने 'टेलीफोन डिवीजनों की बैठकें' के बारे में श्री सुरेश पुजारी, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 659 के 20.07.2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखा।

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखे:-

(एक) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 359वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर विभाग से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 361वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4). रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने रेल मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर रेल संबंधी स्थायी समिति के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखा।

(5) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखे:-

(एक) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'निर्यात पर माल और सेवा कर (जीएसटी) का प्रभाव' के बारे में विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 139वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 144वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'व्यापार और उद्योग पर बैंकिंग दुर्विनियोजन का प्रभाव' के बारे में विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 146वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(तीन) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'व्यापार और उद्योग पर बैंकिंग दुर्विनियोजन का प्रभाव' के बारे में विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 146वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 151वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) (मांग संख्या 11) पर विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 160वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 166वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखा।

(7) संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित 'दूरसंचार सेवाओं/इंटरनेट का निलंबन और उसका प्रभाव' संबंधी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) रखा।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.10 बजे *स्थगित हुई और* अपराह्न 2.00 बजे *पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 2.00 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

1. सुश्री देबाश्री चौधरी ने रायगंज, पश्चिम बंगाल में एसएआई के पैरामाउंट प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के बारे में मामला उठाया।

2. डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने उत्तर प्रदेश के तरियासुजान रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव के बारे में मामला उठाया।

3. श्री सुरेश पुजारी ने ओडिशा के देवघढ़ जिले में किडनी रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों की बढ़ती संख्या के बारे में मामला उठाया।

4. श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने वाणिज्यिक विज्ञापनों की विषय-वस्तु की स्क्रीनिंग के बारे में मामला उठाया।

5. डॉ संघमित्रा मौर्य ने 3 जनवरी, सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया ।

6. श्री प्रदीप कुमार सिंह ने बिहार में कोसी-मेची इंटरलिंकिंग परियोजना हेतु निधि जारी किए जाने के बारे में मामला उठाया।

7. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी ने कोविड-10 वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि तथा निजी अस्पतालों द्वारा लिए जाने वाले अत्यधिक शुल्क की जांच के लिए एक तंत्र स्थापित किए जाने के बारे में मामला उठाया।

8. डॉ संजय जायसवाल ने रक्सौल विमानपत्तन के पुनरुद्धार किए जाने के बारे में मामला उठाया ।

9. श्री रविन्दर कुशवाहा ने उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के बारे में मामला उठाया।

10. श्री लालूभाई बी. पटेल ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा पकड़े गए मछुआरों को रिहा करवाए जाने के बारे में मामला उठाया।

11. श्री रवि किशन ने गोरखपुर और प्रयागराज के मध्य शताब्दी/सुपरफास्ट कुर्सी यान रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया ।

12. श्री चुन्नी लाल साहू ने छत्तीसगढ़ के महासमुंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेरी नदी पर तटबंध के पुनर्निर्माण एवं भारी वर्षा से फसलों के हुए नुकसान के लिए किसानों को प्रतिकर के संदाय के बारे में मामला उठाया ।

13. श्री दुष्यंत सिंह ने नई दिल्ली-सोगरिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी का बाराँ रेलवे स्टेशन तक विस्तार किए जाने के बारे में मामला उठाया ।

14. श्री एन. रेड्डप्प ने आंध्र प्रदेश में रेल उपरि पुलों (आरओबीएस) और रेल अंडर ब्रिजों (आरयूबीएस) के निर्माण को पूरा किए जाने के बारे में मामला उठाया।

15. प्रो सौगत राय ने अग्निपथ योजना के बारे में मामला उठाया।

16. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित ने शिवाजी चौक (मीरा रोड) से विरार (डीपीआर यूपी) तक मेट्रो कॉरिडोर संख्या-13 के शीघ्र निर्माण किए जाने के बारे में मामला उठाया।

17. श्री चन्देश्वर प्रसाद ने बख्तियारपुर-राजगीर-गया रेल खंड में झरना-नौदिहा ठहराव स्टेशन के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

18. श्री चन्द्र शेखर साहू ने ओडिशा के लिए मनरेगा निधियां जारी किए जाने के बारे में मामला उठाया।

19. श्री राम शिरोमणि वर्मा ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती एवं बलरामपुर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के निर्माण तथा जिलों में केन्द्रीय विद्यालयों में पर्याप्त स्टाफ की तैनाती के बारे में मामला उठाया।

20. श्री वल्लभनेनी बालाशौरी ने कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड द्वारा आंध्र प्रदेश के जल की हिस्सेदारी के बारे में मामला उठाया।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री के. मुरलीधरन ने जवाहर नवोदय विद्यालयों के उन कार्मिकों जो 1-1-2004 से पूर्व सेवा में भर्ती हुए, को केन्द्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली (1972) के अंतर्गत पेंशन का लाभ प्रदान किए जाने के बारे में।

(2) डॉ मोहम्मद जावेद ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र से पलायन की समस्या से निपटने के लिए उपाय किए जाने के बारे में।

(3) श्री (एडवोकेट) डीन कुरियाकोस ने वन्यजीव हमलों के पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर के संदाय के लिए सांविधिक तंत्र बनाए जाने के बारे में।

(4) श्री ए.के.पी. चिनराज ने चेन्नई सेन्ट्रल से रासीपुरम तक चलने वाली रेल गाड़ियों तथा गाड़ी संख्या 17235/36 में बुकिंग करवाए जाने के बारे में।

(5) श्री पी. आर. नटराजन ने अग्निपथ योजना के बारे में।

(6) श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने पार्वती मिल्स लिमिटेड, कोल्लम में एनटीसी के स्वामित्व वाली भूमि में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान या न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना के बारे में।

***10. सदस्यों द्वारा निवेदन**

निम्नलिखित सदस्यों ने लोक सभा की बैठकों से सदस्यों के निलम्बन को वापस लेने के बारे में निवेदन किया:-

1. श्रीमती सुप्रिया सुले

* अपराह्न 2.08 बजे से अपराह्न 2.13 बजे तक।

2. श्री सुदीप बंधोपाध्याय
3. श्री ए. राजा

[**]श्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर दिया।

[#]**अपराह्न 3.23 बजे**

11. सरकारी विधेयक - पारित

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021

आबंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय: 3 घंटे 25 मिनट

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनोज कुमार तिवारी
2. श्री राहुल रमेश शेवाले
3. प्रो. सौगत राय
4. श्री चन्देश्वर प्रसाद
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री श्याम सिंह यादव
7. श्री पी. रविन्द्रनाथ
8. श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
11. श्री प्रसून बनर्जी
12. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
13. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
14. श्रीमती नवनित रवि राणा

---

[*] * संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री।

[#] अपराह्न 2.47 बजे से अपराह्न 3.23 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

15. श्रीमती अपराजिता सारंगी
16. श्री अनुभव मोहंती
17. कुंवर दानिश अली
18. श्री रवि किशन शुक्ला

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 3, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 4, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 5, स्वीकृत हुआ।
खंड 6, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 7, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 8 और 9 स्वीकृत हुए।
खंड 10, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 11 से 13 स्वीकृत हुए।
खंड 14, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 15, स्वीकृत हुआ।
खंड 16 यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 17, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 18 से 21 स्वीकृत हुए।
खंड 22, स्वीकृत हुआ।
खंड 23, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 24 से 26 स्वीकृत हुए।
खंड 27, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 28, स्वीकृत हुआ।
खंड 29, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 30, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 31, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
खंड 32 से 34 स्वीकृत हुए।
खंड 1, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, स्वीकृत हुआ।
उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विधेयक, यथा संशोधित, पारित किये जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथा संशोधित, पारित हुआ।

सायं 6.48 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 28 जुलाई, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 28 जुलाई, 2022/ 6 श्रावण, 1944 (शक)

संख्या 185

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 180 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 1869, 1871 से 1880, 1982 से 1999 तथा 2001 से 2070 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.04 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

(निरन्तर व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.01 बजे *स्थगित हुई और* अपराह्न 4.00 बजे *पुन: समवेत हुई।)*

अपराह्न 4.01 बजे

(निरन्तर व्यवधान के कारण, लोक सभा शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022/ 7 श्रावण, 1944 (शक)

संख्या 186

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 200 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2137, 2139 से 2194, तथा 2196 से 2300 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2022/01 जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के प्रशासनिक और अकादमिक मामलों संबंधी 2022 के अध्यादेश 1 से 4 से संबंधित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वाणिज्य पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती और प्रस्थापना) संशोधन नियम, 2022 जो 27 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 319(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री; (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1765(अ) जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डीबीएफओटी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 (नया एनएच-9) के हापुड़ बायपास से मुरादाबाद खण्ड सहित हापुड़ बायपास से मुरादाबाद खण्ड के किलोमीटर 50.000 (डिजाइन चैनेज किमी 50.000) से किलोमीटर 148.277 (डिजाइन चैनेज किमी 149.867) की छह लेन परियोजना के लिए दिनांक 07 मार्च, 2019 को प्रकाशित प्रशुल्क अधिसूचना सं. का.आ. 1141 (अ) में संशोधन के बारे में है।

(दो) का.आ. 1767(अ) जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 727 (पुराना एनएच-28 ख) के डिजाइन/वर्तमान चैनेज किमी 25.00 से किमी 97.00 (68.70 किमी की लंबाई वाले किमी 90 से किमी 91.4, किमी 93.0 से किमी 94.4 और किमी 96.5 से किमी 97.0 के अलावा) के खण्ड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1926(अ) जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 50 (नया एनएच-60) के खेड सिन्नार खंड की किमी 42.000 से किमी 179.946 की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ. 1927(अ) जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 848 (नासिक नगर निगम सीमा-रामशेज-उमराले-करंजली पेठ-गुजरात राज्य सीमा) के नासिक से पेठ की डिजाइन किलोमीटर 11.600 से किलोमीटर 65.115 (वर्तमान किमी. 11.600 से किमी. 65.600) के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2032(अ) जो 2 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 14 सितंबर, 2021 को प्रकाशित प्रशुल्क अधिसूचना सं. का.आ. 3759(अ) में उपयोक्ता शुल्क संबंधी संशोधन अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ. 2248(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 200 (नया एनएच-49) के डिजाइन किलोमीटर 160.687 से डिजाइन किलोमीटर 216.334 (वर्तमान किमी. 178.944 से किमी. 241.553) के बनारी से मसनिया कला गांव खण्ड की बाह्य पट्टी सहित दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ. 2249(अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में बाह्य पट्टी/चार लेन मानकों के साथ दो लेन विकसित एनएच-548डी (लंबाई 32.172 किमी) के डिजाइन किलोमीटर 137+300 से किलोमीटर 169+472 (वर्तमान किमी. 45+877 से किमी. 13+689) खण्ड के मनजरसुंभा से चुम्बली फाटा के उपयोग के लिए तालिका एक के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर बाह्य पट्टी खण्ड सहित दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2428(अ) जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 548क के डिजाइन 43.783 से 91.139 (वर्तमान किमी 44.933 से किमी

92.908) तक पटगांव खोपोली खण्ड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2607(अ) जो 7 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 233 (नया एनएच-28) के डिजाइन किलोमीटर 240.340 से किलोमीटर 263.360 (वर्तमान किमी. 232.140 से किमी. 253.760) और डिजाइन किलोमीटर 281.840 से किलोमीटर 299.350 (वर्तमान किमी. 271.140 से किमी. 287.950) तक घाघरा पुल से वाराणसी खण्ड की चार या अधिक लेन खण्ड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ. 2611(अ) जो 7 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 341 के डिजाइन किलोमीटर 65.478 से किलोमीटर 162.209 तक भुज खावडा धर्मशाला खण्ड की बाह्य पट्टी सहित दो लेन के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2648(अ) जो 9 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 33 के डिजाइन किलोमीटर 217.300 से किलोमीटर 233.350 (वर्तमान किमी 217.300 से किमी 233.350) तक रांची-महुलिया खण्ड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ. 2760(अ) जो 15 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-248क के डिजाइन किलोमीटर 92.400 से किलोमीटर 127.350 (वर्तमान किमी 92.400 से किलोमीटर 127.350) तक अलवर से नूह खण्ड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2891(अ) जो 23 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना एनएच-4) के डिजाइन किलोमीटर 592.240 से किलोमीटर 658.00 (वर्तमान किमी 592.240 से किमी 658.00) तक कागल-पेठ खण्ड के चार लेन के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2890(अ) जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 48 (पुराना एनएच-4) के डिजाइन किलोमीटर 658.000 से किलोमीटर 725.000 (वर्तमान किमी 658.000 से किमी 725.000) तक पेठ-सतारा खण्ड के चार लेन के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 2892(अ) जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 152घ के किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 227.020 (इस्माइलाबाद (गंघेरी) में 0.000 कि.मी. से शुरू होकर नारनौल बायपास पर कि.मी. 227.020 पर समाप्त) (लंबाई 227.020 किमी) के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 2942(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 130 के किलोमीटर 163.400 से किलोमीटर 215.800 तक शिवनगर से अंबिकापुर खण्ड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 2984(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 3 (नया एनएच-848) के डिजाइन किलोमीटर 539.500 से किलोमीटर 563.00 (वर्तमान किलोमीटर 539.500 से किलोमीटर 563.00) तक वाडापे से ठाणे खण्ड के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 3036(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़

राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 111 (नया एनएच-130) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 53.300 (वर्तमान किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 53.300) तक बिलासपुर से पथरापली खण्ड की चार लेन के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 109 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 2914 (अ) जो 23 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का. आ. 5419 (अ) जो 28 दिसम्बर, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय मोटर यान (16वां संशोधन) नियम, 2021 जो 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 525(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेंट ए कैब (संशोधन) स्कीम, 2021 जो 9 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3202(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) रेंट ए मोटरसाईकिल (संशोधन) स्कीम, 2021 जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3220(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(चार) केन्द्रीय मोटर यान (17वां संशोधन) नियम, 2021 जो 17 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 575(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) केन्द्रीय मोटर यान (20वां संशोधन) नियम, 2021 जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 594(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) केन्द्रीय मोटर यान (19वां संशोधन) नियम, 2021 जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 595(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) केन्द्रीय मोटर यान (18वां संशोधन) नियम, 2021 जो 27 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 596(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) का.आ. 3627(अ) जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कृत्यों के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है।

(नौ) केन्द्रीय मोटर यान (21वां संशोधन) नियम, 2021 जो 23 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 652(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) मोटर यान (वाहन निपटान सुविधा का पंजीकरण और कृत्य) नियम, 2021 जो 23 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 653(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) केन्द्रीय मोटर यान (22वां संशोधन) नियम, 2021 जो 30 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 676(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) केन्द्रीय मोटर यान (23वां संशोधन) नियम, 2021 जो 4 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 714(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) केन्द्रीय मोटर यान (24वां संशोधन) नियम, 2021 जो 6 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 720(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) केन्द्रीय मोटर यान (25वां संशोधन) नियम, 2021 जो 12 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 728(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) केन्द्रीय मोटर यान (26वां संशोधन) नियम, 2021 जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 800(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) केन्द्रीय मोटर यान (पहला संशोधन) नियम, 2022 जो 27 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) का. आ. 359 (अ) जो 27 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 13 दिसम्बर, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 1365(अ) में कतिपय संशोधन किए जाने के बारे में है।

(अठारह) केन्द्रीय मोटर यान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 15 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 153(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) केन्द्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 126(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) केन्द्रीय मोटर यान (चौथा संशोधन) नियम, 2022 जो 25 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 161(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) केन्द्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 जो 25 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 162(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) टक्कर मार कर भागना मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 जो 25 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 163(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तेईस) केन्द्रीय मोटर यान (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 164(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) केन्द्रीय मोटर यान (छठा संशोधन) नियम, 2022 जो 14 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 200(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2022 जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 233(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) केन्द्रीय मोटर यान (आठवां संशोधन) नियम, 2022 जो 5 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 272(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सताईस) मोटर यान (तृतीय पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और देनदारी) नियम, 2022 जो 25 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत नागर विमानन मंत्रालय (वायुयान प्रचालनों की सुरक्षा हेतु ऊंचाई प्रतिबंध) संशोधन नियम, 2022 जो 22 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.465(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग प्रशुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.467(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 691 (अ) जो 15 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा जिसके द्वारा मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 44 के प्रभावी होने की तारीख के रूप में 15 फरवरी, 2022 को नियत किया गया है।

(दो) का. आ. 859 (अ) जो 25 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धाराओं के प्रभावी होने की तारीख के रूप में 1 फरवरी, 2022 को नियत किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ-राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ-राज्यक्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यीय पारेषण में मुक्त पहुंच) (पांचवां संशोधन)) विनियम, 2018 जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-7/105(121)/2007-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन 01.05.2022 से प्रभावी होंगे।

(दो) केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्रों हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2022 जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आरए-14026(11)/1/2022-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022 जो 3 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 416(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) संशोधन नियम, 2022 जो 21 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 306(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विद्युत (हरित ऊर्जा मुक्त पहुंच द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन) संशोधन नियम, 2022 जो 6 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 418(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) उपर्युक्त (3) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 की धारा 32 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 जो 13 जून, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 442(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2022 जो 21 जून, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 464(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (पंजीयक, काउंसेल तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों की संख्या और भर्ती) नियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 470(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 84 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय माध्यस्थम् परिषद (अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 जो 9 जुलाई, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 527(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय माध्यस्थम् परिषद (मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सेवा की अर्हताएं, नियुक्ति तथा अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 जो 9 जुलाई, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 528(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय माध्यस्थम् परिषद (अंशकालिक सदस्यों को संदेय यात्रा और अन्य भत्ते) नियम, 2022 जो 9 जुलाई, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 529(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय माध्यस्थम् परिषद (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति तथा अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 जो 9 जुलाई, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 530(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) निर्वाचकों का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2802(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उनका एक शुद्धिपत्र जो 18 जून, 2022 की अधिसूचना सं. का.आ. 2811(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 2804(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म्, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ओमनीबस औद्योगिक विकास निगम दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली लिमिटेड, नानी दमन के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, वर्धा के वर्ष 2017-2018 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि (संशोधन) नियम, 2022 जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 389(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना प्रस्तुत करना) (संशोधन) नियम, 2022 जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 358(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (सूचना प्रस्तुत करना) नियम, 2016 जो 1 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 750(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1170(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2016 जो 26 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1171(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 जो 19 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 390(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 जो 26 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 410(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) पासपोर्ट आवेदन (सुविधा और प्रक्रिया) नियम, 2017 जो 24 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1063(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 जो 13 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1150(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 जो 3 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1215(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 जो 3 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1366(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) पासपोर्ट (पहला संशोधन) नियम, 2018 जो 18 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) पासपोर्ट (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 6 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 339(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) पासपोर्ट (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 15 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1117(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2019 जो 18 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 933(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) पासपोर्ट आवेदन (सुविधा और प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2020 जो 15 मई, 2020 के

भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 297(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2020 जो 5 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 356(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) सा.का.नि. 732(अ) जो 17 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उन पासपोर्ट धारकों, जिनका पासपोर्ट सितम्बर, 2014 में जम्मू-कश्मीर राज्य में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त या खो गया था, को कतिपय शर्तों के अध्यधीन पासपोर्ट शुल्क के भुगतान से छूट देना है।

(सोलह) सा.का.नि. 195(अ) जो 17 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उन भारतीय नागरिकों को, जिन्हें 1 जून, 2015 से प्रभावी नौकायन जहाजों के चालक दल और सहयोगी के सदस्य के रूप में छूट प्रदत्त थी, से कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट वापस लेना है।

(सत्रह) सा.का.नि. 272(अ) जो 3 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उन पासपोर्ट धारकों, जिनका पासपोर्ट नवम्बर, 2015 में तमिलनाडु राज्य में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त या खो गया था, को कतिपय शर्तों के अध्यधीन पासपोर्ट शुल्क के भुगतान से छूट देना है।

(अठारह) सा.का.नि. 722(अ) जो 26 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 मई, 1976 के अधिसूचना सं. सा.का.नि. 353(अ) को निरस्त किया गया है।

(उन्नीस) सा.का.नि. 723(अ) जो 22 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा भारत के दूतावास, यंगून को एक समय एक वर्ष की अवधि के लिए म्यांमार संघ गणराज्य में निवासरत भारतीय मूल के उन व्यक्तियों, जो म्यांमार संघ गणराज्य की सरकार द्वारा जारी विदेशी विषयक पंजीकरण प्रमाण-पत्र के धारक हैं, को पासपोर्ट जारी करने की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है।

(बीस) सा.का.नि. 435(अ) जो 4 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन, सऊदी अरब सरकार द्वारा घोषित अनुकंपा अवधि के दौरान आपातकाल प्रमाण-पत्र प्रशुल्क की छूट के बारे में है।

(इक्कीस) सा.का.नि. 4966(अ) जो 25 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा ऐसे पासपोर्ट धारकों, जिनका पासपोर्ट अगस्त, 2018 में केरल राज्य में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त या खो गया था, को कतिपय शर्तों के अध्यधीन पासपोर्ट शुल्क के भुगतान से छूट देना है।

(बाईस) सा.का.नि. 756(अ) जो 11 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन, ओमान सरकार द्वारा घोषित अनुकंपा अवधि के

दौरान आपातकाल प्रमाण-पत्र प्रशुल्क को माफ करने के बारे में है।

(तेईस) सा.का.नि. 35(अ) जो 20 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय शर्तों के अध्यधीन, ओमान सरकार द्वारा घोषित सर्वक्षमा योजना की अवधि के दौरान आपातकाल प्रमाण-पत्र प्रशुल्क को माफ करने के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 515(अ) जो 8 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा उन पासपोर्ट धारकों, जिनका पासपोर्ट ओमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात ''शाहीन'' के कारण क्षतिग्रस्त या खो गया था, को कतिपय शर्तों के अध्यधीन पासपोर्ट शुल्क के भुगतान से छूट देना है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) की ओर से भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत का.आ.3217(अ) जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेस-1क के संरेखण (अलाइनमेन्ट) के बारे में है।

(2) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत का.आ.3218(अ) जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के गलियारा-1 और गलियारा-2 के संरेखण (अलाइनमेन्ट) के बारे में है।

(3) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत का.आ.3219(अ) जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आगरा मेट्रो रेल परियोजना के गलियारा-1 और गलियारा-2 के संरेखण (अलाइनमेन्ट) के बारे में है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, उत्तरकाशी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान, दिरांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान, दिरांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) हिमालयी पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हिमालयी पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 9(2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.नि.आ. 9 जो 23 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया था कि अधिसूचना में यथाविर्निदिष्ट सेवा और विशेषज्ञताओं की अपेक्षा के अनुसार, उसमें उल्लिखित शाखाओं में नाविकों के रूप में महिलाएं भारतीय नौसेना में नामांकन के लिए अर्हक होंगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिंदुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती हिंदुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2019-2020 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भटिंडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भटिंडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत औषध (पांचवां संशोधन) नियम, 2022 जो 1 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 502(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (वीगन भोजन) विनियम, 2022 जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/टीएफ-वीगन भोजन/अधिसूचना/एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (एल्कोहलिक बिवरेजेस) पहला संशोधन विनियम, 2022 जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/एसपी-21/टी(अल्कोहल-5) में प्रकाशित हुए थे।

(11) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1907 (अ) जो 21 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के लिए केंद्रीय सरकार स्तर पर प्रत्येक संघ-राज्यक्षेत्र के संबंध में समुचित प्राधिकारी के प्रयोजनार्थ स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी रजिस्ट्री की स्थापना को अधिसूचित किया गया है।

(दो) का.आ. 2073 (अ) जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के प्रयोजनार्थ प्रत्येक संघ-राज्यक्षेत्र के संबंध में, उसमें उल्लिखित संबंधित संघ-राज्यक्षेत्र के कार्मिकों वाले समुचित प्राधिकारी को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 2074 (अ) जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार स्तर पर प्रत्येक संघ-राज्यक्षेत्र के संबंध में उसमें उल्लिखित संबंधित संघ-राज्यक्षेत्र के कार्मिकों वाले यूटी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 2075 (अ) जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 प्रयोजनार्थ विधायिका वाले प्रत्येक संघ-राज्यक्षेत्र के संबंध में उसमें उल्लिखित संबंधित संघ-राज्यक्षेत्र के कार्मिकों वाले यूटी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) का.आ. 2076 (अ) जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 प्रयोजनार्थ उसमें उल्लिखित संबंधित संघ-राज्यक्षेत्र के कार्मिकों वाले राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी (विनियमन) बोर्ड के संघटन को अधिसूचित किया गया है।

(12) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सरोगेसी (विनियमन) कठिनाइयों को दूर करना आदेश, 2022 जो 12 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2204(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) का.आ. 2317(अ) जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 17 से 'पदेन' शब्द के विलोपन के बारे में है।

(13) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (अनिवार्य आवर्ती आयुर्विज्ञान इंटर्नशिप) विनियम, 2021 जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या यूजीएमईबी/एनएमसी/नियम और विनियम/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक लाइसेनसिएट) विनियम, 2021 जो 18 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या यूजीएमईबी/एनएमसी/नियम और विनियम/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (चिकित्सा महाविद्यालयों और संस्थानों में रैगिंग का निवारण और प्रतिषेध) विनियम, 2021 जो 20 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या यूजीएमईबी/एनएमसी/नियम और विनियम/2021 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चिकित्सा संस्थानों में अध्यापक अर्हता योग्यताएं विनियम, 2022 जो 22 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. एनएमसी/एमसीआई-23(आई)/2021-एमईडी में प्रकाशित हुए थे।

(14) उपर्युक्त (13) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) उत्तर-पूर्व आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उत्तर-पूर्व आयुर्वेद और होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान, लेह के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति में दस सदस्यों की रिक्तियों को भरे जाने के लिए राज्य सभा द्वारा 28 मार्च, 2022 को हुई उसकी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुक्रम में, जिनमें से नौ सदस्य विधिवत निर्वाचित हुए है और जिसकी सूचना 1 अप्रैल, 2022 को सभा को दी गई है, राज्य सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति में राज्य सभा की शेष एक रिक्ति के निर्वाचन के लिए लोकसभा की सिफारिश से सहमत हुई और श्री राम नाथ ठाकुर उक्त समिति के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हुए हैं।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

श्री अजय टम्टा ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 21 अप्रैल, 2022 से 26 अप्रैल, 2022 तक अगाती, कोच्चि, कुर्ग और बेंगलुरु का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. उद्योग संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री बिद्युत बरन महतो ने भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड मोबिलिटी - ऑटोमोबाइल उद्योग में संभावनाएं और चुनौतियां' के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 309वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 317वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन

में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) पर रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने 1 अगस्त, 2022 से आरंभ होने वाले सप्ताह के लिए सरकारी कार्य के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

8 नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा ओडिशा के कालाहाण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इलैक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ऑवरहॉलिंग वर्कशाप की स्थापना के बारे में।

(2) श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा राजस्थान में झुन्झुनू से पचेरी तक एनएच-11 को चार लेन में परिवर्तित किए जाने और चिड़ावा और सिंघाना में बाईपास सड़क का निर्माण किए जाने के बारे में।

(3) श्री अनुराग शर्मा द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अधीन उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के किसानों को मुआवजे का भुगतान न किए जाने के बारे में।

(4) श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर द्वारा महाराष्ट्र के माधा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'खेलो इंडिया' केंद्रों की स्थापना के बारे में।

(5) श्री सी.पी.जोशी द्वारा राजस्थान के प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय से मध्य प्रदेश के जावरा को जोड़ने वाली एक सड़क के निर्माण के बारे में।

(6) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.28 को दिव्यांगजनों को इलैक्ट्रिक ट्राई साइकिल वितरण शामिल करने के उद्देश्य से संशोधित किए जाने के बारे में।

(7) डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा धौलपुर-सरमथुरा-करौली-गंगापुर शहर रेल लाइन परियोजना के बारे में।

(8) श्री संजय भाटिया द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे का विस्तार हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब तक किए जाने के बारे में ।

(9) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टीविटी और दूरसंचार को सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल टॉवर लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री अशोक कुमार यादव द्वारा बिहार में कोसी परियोजना के बारे में।

(11) श्री हिबी ईडन द्वारा अग्निपथ योजना के बारे में।

(12) श्री कुरुवा गोरांतला माधव द्वारा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के बारे में।

(13) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा भारी वर्षा से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता के बारे में ।

अपराह्न 12.06 बजे

(व्यवधान के कारण, लोक सभा सोमवार, 01 अगस्त, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 01 अगस्त, 2022/ 10 श्रावण, 1944 (शक)

संख्या 187

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने अपनी और सभा की ओर से बर्मिंघम राष्ट्रमण्डल खेल-2022 में सुश्री साइकोम मीराबाई चानू, श्री जेरेमी लाल-रि-नुंगा एवं श्री अंचिता शिवली को स्वर्ण पदक जीतने: श्री संकेत सरगर और सुश्री बिंदिया रानी देवी को रजत पदक जीतने; तथा श्री गुरू राज पुजारी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी।

2. प्रश्न

व्यवधान के कारण, तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अत: आज की कार्यसूची में शामिल तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 220 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

3. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की गरिमा और मर्यादा बनाये रखने की अपील की ।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.05 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2022 जो 4 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 255 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (लेखा) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 235 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2022 जो 6 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 279 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निगमन) संशोधन नियम, 2022 जो 8 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 291 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (प्रशुल्कों का पंजीकरण) संशोधन नियम, 2022 जो 27 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 320 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2022 जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 335 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (प्रतिभूतियों की विवरणिका और आबंटन) संशोधन नियम, 2022 जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 338 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 363 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएं और समामेलन) संशोधन नियम, 2022 जो 30 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 401 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (लेखा) तीसरा संशोधन नियम, 2022 जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 407 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2022 जो 1 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 410 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (कंपनी पंजिका से कंपनियों का नाम हटाना) संशोधन नियम, 2022 जो 9 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 436 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन नियम, 2022 जो 10 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 439 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण संशोधन नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 456 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) और (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 64 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजनों से संबंधित कार्य-संचालन के बारे में प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2022, जो 1 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीसीआई/सीडी/संशोधन/संयोजन विनियम/2022 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2022, जो 8 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-3(2)/विनियम-सामान्य(संशोधन)/2022/सीसीआई में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (विशेषज्ञों और पेशेवरों की नियुक्ति की प्रक्रिया) संशोधन विनियम, 2022, जो 12 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. ए-12015/01/2022एचआर/सीसी में प्रकाशित हुए थे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) पाइप और फिटिंग में लेड स्टेबलाइजर (संशोधन) नियम, 2022 जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.334(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उप-धारा (2) के अंतर्गत वन (संरक्षण) नियम, 2022 जो 28 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.480(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 और 25 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345(अ) जो 10 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 'चूना-भट्टों में पेटकोक के विक्रय और उपयोग' के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1947(अ) जो 26 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(दो) का.आ. 2090(अ) जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप संरक्षण जोन में संशोधन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2095(अ) जो 5 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र में संशोधन के बारे में है।

(चार) का.आ. 2194(अ) जो 12 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण के पुनर्गठन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1807(अ) जो 12 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पर्यावरण मंजूरी की वैधता के बारे में है।

(छह) का.आ. 1886(अ) जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राज्य स्तर पर मंजूरी सुकर बनाने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण के बारे में है।

(सात) का.आ. 1953(अ) जो 27 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रोपवे परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता के अपवर्जन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2163(अ) जो 9 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अनावश्यक देरी को कम करके जनसुनवाई की प्रक्रिया सुप्रवाही बनाए जाने के बारे में है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) मुंबई एशियाटिक सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मुंबई एशियाटिक सोसायटी, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूजियम इंस्टिट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एण्ड म्यूजियोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) शेयर बाजार घोटाले और उससे संबंधित मामलों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, जुलाई, 2022 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 22 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/87 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194द की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिनांक 16 जून, 2022 के परिपत्र सं. 2022 का 12, जो कठिनाइयां दूर करने संबंधी मार्गदर्शिकाएं जारी करने के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194ध की उप-धारा (6) के अंतर्गत दिनांक 22 जून, 2022 के परिपत्र सं. 2022 का 13, जो मार्गदर्शिकाएं जारी करने के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (19वां संशोधन) नियम, 2022 जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 463(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (20वां संशोधन) नियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 482(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 1 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 505(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (22वां संशोधन) नियम, 2022 जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 537(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(6) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 429 (अ) जो 7 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट कर अवधियों के लिए विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालकों के लिए ब्याज माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 541(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2017-केंद्रीय कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की सीजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 544(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017-केंद्रीय कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 547(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(7) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 471(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (पहला संशोधन) विनियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 483(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 248(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अग्रिम प्राधिकरण एवं निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल योजना के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर 30.06.2022 तक समेकित कर एवं प्रतिपूर्ति उपकर से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 539(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30.06.2017 को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(8) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 510(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई12 और ई15 ईंधन, जोकि मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है) (88%/85%) जिस पर समुचित मात्रा में उत्पाद शुल्क (इसमें लागू उपकर भी सम्मिलित है) का भुगतान किया गया है, के विनिर्दिष्ट प्रतिशत और इथेनॉल (12%/15%) जिस पर लागू जीएसटी का भुगतान किया जा चुका है, के विनिर्दिष्ट प्रतिशत का मिश्रण है, जो मानक आईएस17586 के अनुरूप भी है, पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लागू अन्य उपकरों में छूट दिया जाना है और बायोडीजल के विवरण में बदलाव किया जाना है ताकि सभी स्रोतों से प्राप्त बायोडीजल के साथ मिश्रित हाईस्पीट डीजल पर भी छूट को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 534(अ) से सा.का.नि. 536(अ), जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई12 और ई15 ईंधन, जोकि मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल कहा जाता है) (88%/85%) जिस पर समुचित मात्रा में उत्पाद शुल्क (इसमें लागू उपकर भी सम्मिलित है) का भुगतान किया गया है, के विनिर्दिष्ट प्रतिशत और इथेनॉल (12%/15%) जिस पर लागू जीएसटी का भुगतान किया जा चुका है, के विनिर्दिष्ट प्रतिशत का मिश्रण है, जो मानक आईएस17586 के अनुरूप भी है, पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और लागू अन्य उपकरों में छूट दिया जाना है और बायोडीजल के विवरण में बदलाव किया जाना है ताकि सभी स्रोतों से प्राप्त बायोडीजल के साथ मिश्रित हाईस्पीट डीजल पर भी छूट को लागू किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 533(अ) जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और सऊदी अरब से होने वाले 'संतृप्त वसा अल्कोहल' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया था, में संशोधन करना हे, जिससे कि उत्पादक 'पीटी इनर्जी सेजाहटेरा मास' और निर्यातक 'सिनरमस सीईएसपीए पीटीई' से संबंधित निर्यातक देश के नाम में 'सिंगापुर' के स्थान पर ''इंडोनेशिया सहित कोई भी देश'' लिखा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 542 (अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 08/2017-एकीकृत कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की आईजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 545(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 09/2017-एकीकृत कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की आईजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 548(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 10/2017-एकीकृत कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की आईजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(11) संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 543 (अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत विभिन्न सेवाओं की यूटीजीएसटी दरों को अधिसूचित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 546(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 12/2017- संघ-राज्यक्षेत्र कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 549(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर(दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा; संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 38 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2021 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 28 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 48(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) दि दत्तोपन्त ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एण्ड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती-सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन), नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दि दत्तोपन्त ठेंगड़ी नेशनल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एण्ड डेवलपमेंट (पूर्ववर्ती-सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन), नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उप-धारा (4) के अंतर्गत ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना के संबंध में अधिसूचना सं. एन-12/13/01/2019-पीएण्डडी, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) समग्र शिक्षा अभियान पंजाब, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा अभियान पंजाब, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) लक्षद्वीप समग्र शिक्षा, कवरत्ती के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) लक्षद्वीप समग्र शिक्षा, कवरत्ती के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) लक्षद्वीप समग्र शिक्षा, कवरत्ती के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) पश्चिम बंगा समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंगा समग्र शिक्षा मिशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा मिजोरम, आइजोल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उत्तर- पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्टस एण्ड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्टस एण्ड हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, दीमापुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, दीमापुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, दुर्गापुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड, कोझिकोड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रायपुर, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) योजना और वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर, हमीरपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर, हजरतबल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मेघालय, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी, कराईकल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पुदुचेरी, कराईकल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, पौड़ी गढ़वाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, तेईपल्लीगुडम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आंध्र प्रदेश, तेईपल्लीगुडम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) (एक) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं

की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी, मंडी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धारवाड़, धारवाड़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, खड़गपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए मुक्त विश्वविद्यालयों की उपयुक्तता) (संशोधन) नियम, 2022, जो दिनांक 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 359(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(54) वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक)(संशोधन) विनियम, 2022, जो 30 जून 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीए/431/2022/एमएसएई(विनियम) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 24 के अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (समूह "क" "ख" और "ग" पद) भर्ती विनियम, 2022 जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 3-24/प्रशासन/स्थापना/संशोधन/भर्ती विनियम/2011/खंड एक में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर विनियम, 2022, जो 26 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.8-9/2021-टीएस.वी. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यनिष्पादन संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उप-धारा (3) और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2022 जो दिनांक 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 461(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशकों को उपदान का संदाय) संशोधन नियम, 2022 जो 9 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 437(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (संशोधन) नियम, 2022 जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 580(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखाओं और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्ररूप) संशोधन नियम, 2022 जो 6 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 521(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारियों की सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 में प्रकाशित हुए थे।

(8) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन योजना, 2022 जो 1 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3026(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन योजना, 2022 जो 1

जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 3027(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) यूको बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2020 जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. एचओ/ईएसटी/2021-22/297 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उप-धारा (11) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (यूनिटी स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2022 जो 25 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 45(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड (डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलन) योजना, 2020 जो 25 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.731(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) की मद सं. (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उप-धारा (4) के अंतर्गत आरबीआई कर्मचारी उपदान और अधिवर्षिता निधि (संशोधन) विनियम, 2021 जो 6 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सीएसबीडी/निधियां/ एस57/05.12.003/ 2022-23 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 1114 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3035(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के कतिपय उपबंधों को अपवादों, अशोधनों और अनुकूलनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं में लागू किया गया है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) साधारण बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) संशोधन योजना, 2022, जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1821(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) संशोधन योजना, 2022, जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1822(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (विलय) संशोधन योजना, 2022, जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1823(अ) में प्रकाशित हुई थी।

5. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगवार ने '2020 के प्रतिवेदन सं. 18 के सीएण्डएजी ऑडिट पैरा सं. 5.2 के आधार पर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से संबंधित बंद की गई परियोजनाओं को ऋण दिए जाने के कारण परिहार्य हानि' के बारे में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण

श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले चार अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' (उर्वरक विभाग) के बारे में समिति के बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पच्चीसवां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(2) 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के बारे में समिति के उन्नीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर छब्बीसवां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(3) 'आयात और निर्यात सहित पेट्रोरसायनों की मांग और उपलब्धता' (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) के बारे में समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सत्ताईसवां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

(4) 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' (औषध निर्माण विभाग) के बारे में समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अट्ठाईसवां

की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.04 बजे

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित "संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रशासित अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अनुदान, पेंशन और योजनाओं" के बारे में समिति के 271वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 274वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखा।

(2) शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में विभाग से संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 337वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखा।

अपराह्न 12.05 बजे

8. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.06 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

9. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से संसदीय परंपरा को बनाए रखने की अपील* की।

श्री अधीर रंजन चौधरी और #श्री प्रहलाद जोशी भी बोले।

अध्यक्ष ने *सभा की गरिमा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।

तत्पश्चात, #श्री प्रहलाद जोशी ने 25 जुलाई, 2022 को शेष सत्र के लिए सभा की सेवा से निलंबित किए गए सदस्यों के निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने के संबंध में प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.17 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री जगन्नाथ सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों के गठन के बारे में।

(2) डॉ. रमेश बिन्द द्वारा उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के बारे में।

(3) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुंदेलखंड के एक लोकगीत आल्हा के लिए सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के बारे में।

(4) श्री जुएल ओराम द्वारा झारसूगुडा हवाई अड्डे को उड़ान योजना से सामान्य श्रेणी में परिवर्तित किए जाने के बारे में।

(5) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बारे में।

(6) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा चाकुलिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन सं0 18030 और 18615 के ठहराव तथा टाटानगर से बक्सर और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए सीधी ट्रेन शुरू किए जाने के बारे में।

(7) श्री जयंत सिन्हा द्वारा झारखण्ड में आसन्न सूखे की स्थिति के बारे में।

---

*मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

#संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; और खान मंत्री।

(8) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली-चिमूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा से प्रभावित किसानों और लोगों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।

(9) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में।

(10) श्रीमती संध्या राय द्वारा ग्वालियर-भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग को छः लेन वाले मार्ग में परिवर्तित किए जाने के बारे में।

(11) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के बारे में।

(12) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में विधान के बारे में।

(13) श्री हिबी ईडन द्वारा समुद्री कटाव से होने वाले खतरे के बारे में।

(14) डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद द्वारा नई रेल लाइन परियोजना टिंडीवनम-तिरुवन्नामलाई को पूरा किए जाने के बारे में।

(15) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा तमिलनाडु में पुरातात्विक उत्खनन के लिए पर्याप्त धनराशि दिए जाने के बारे में।

(16) श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर द्वारा व्यापक फसल विविधिकरण मॉडल को शामिल किए जाने के बारे में।

(17) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा कोविड-19 से प्रभावित अभ्यर्थियों को यूपीएससी परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास का अवसर दिए जाने के बारे में।

(18) श्री सुनील कुमार द्वारा बिहार के नरकटियागंज और भिखनाठोरी के बीच ट्रेन का परिचालन बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(19) कुमारी चन्द्राणी मुर्मु द्वारा पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की जन सुनवाई में संसद सदस्यों की भागीदारी के बारे में।

(20) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा डीआरडीओ में काम कर रहे वैज्ञानिकों की सेवा की स्थिति के बारे में।

(21) श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए गन्ने की पराली का उपयोग किए जाने के बारे में।

(22) श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी द्वारा गुजरात के पाटण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सिद्धपुर रेलवे स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज के निर्माण और ट्रेनों के ठहराव के बारे में।

अपराह्न 2.17 बजे

11. सरकारी विधेयक का स्थगन

[$]श्री अर्जुन राम मेघवाल ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि आज की कार्य सूची में मद संख्या 19 में सूचीबद्ध सरकारी विधेयक पर विचार और पारित करने को स्थगित किया जाए और इसके बजाय मद संख्या 20 में सूचीबद्ध नियम 193 के अधीन चर्चा की जाए।

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 2.18 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

श्री मनीश तिवारी ने मूल्य-वृद्धि पर चर्चा उठाई ।

अनुमत्य समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 6 घंटे 25 मिनट

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

1. डॉ. निशिकांत दुबे
2. श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
3. डॉ. (श्रीमती) काकोली घोष दस्तीदार
4. श्री कौशलेंद्र कुमार
5. श्रीमती संगीता आज़ाद
6. श्री नामा नागेश्वर राव
7. श्री पिनाकी मिश्रा
8. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
9. श्री भरत राम मारगनी
10. श्री उदय प्रताप सिंह
11. श्री कल्याण बनर्जी
12. सुश्री एस. जोतिमणि
13. श्री जयदेव गल्ला
14. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
15. श्रीमती जसकौर मीना
16. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
17. डॉ. एस.टी. हसन

[$] संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री

18. श्री जयंत सिन्हा
19. श्री हसनैन मसूदी
20. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
21. श्री असादुद्दीन ओवैसी
22. श्री पल्लब लोचन दास
23. श्री हनुमान बेनीवाल
24. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
25. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटिल
26. डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस.
27. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
28. श्री थोमस चाज़िकाडन
29. श्री सौमित्र खान
30. श्री राम शिरोमणि वर्मा
31. श्री अधीर रंजन चौधरी

%श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

रात्रि 8.43 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 02 अगस्त, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

% वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 02 अगस्त, 2022/ 11 श्रावण, 1944 (शक)

संख्या 188

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 223, 224 (226 के साथ युग्मित), 225 तथा 227 के मौखिक उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न सं. 228 से 240 के उत्तर को सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से वाद-विवाद में भाग लेते समय अध्यक्षपीठ को संबोधित करने की अपील की।

अपराह्न 12.01 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

---

* मध्याह्न 12.00 बजे की गई। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(दो) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा इस्पात उत्पाद लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टिट्यूट, पलक्कड़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2022 का संख्यांक 9)-चयनित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क (चार) के अंतर्गत वर्ष 2020 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21(4) के अंतर्गत वर्ष 2020 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, नई दिल्ली के 01.04.2020 से 30.04.2020 की अवधि के लिए वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष

2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 29 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3126(अ) जो 7 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची एक में, उसमें उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1719(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 8 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची एक में, उल्लिखित कतिपय संशोधन किए गए हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 की धारा 156 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, मोटर परिवहन और मोटर मैकेनिक संवर्ग, समूह 'ख' और 'ग' पद, भर्ती (संशोधन) नियम, 2022 जो 22 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.466(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. एफ.सं. 1/1/2021/एचपी-एक/स्था./2467-2474 जो 17 नवम्बर, 2021 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 15 पुलिस जिलों में ''साइबर पुलिस स्टेशन'' के गठन के बारे में है।

(दो) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2022 जो 11 फरवरी, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 16/6/2020/एचपी-एक/स्था./3483-3489 में

प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 11 फरवरी, 2022 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 16/6/2020/एचपी-एक/स्था./169 से 175 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2022 जो 13 अप्रैल, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 16/25/2020/एचपी-एक/स्था./185-191 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2022 जो 13 अप्रैल, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 16/7/2020/एचपी-एक/स्था./177-183 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 4 मई, 2022 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 16/7/2020/एचपी-एक/स्था./542 से 548 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2022 जो 13 अप्रैल, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 16/17/2020/एचपी-एक/स्था./161-167 में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 4 मई, 2022 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 16/7/2020/एचपी-एक/स्था./535 से 541 में प्रकाशित हुआ था।

(3) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 49 के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 जो 1 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.506(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 21 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) नियम, 2021 जो 17 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) नियम, 2021 जो 19 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 277(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड कर्मचारी (सेवा की शर्तें) संशोधन विनियम, 2022 जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2430(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत बादाम (गिरी) श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2022 जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.538(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) नाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4(घ) के अंतर्गत पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 2022 जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.1885(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 3 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.1890(अ) जो 21 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में नये कीटनाशकों को शामिल करने के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ओडिशा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, त्रिवेंद्रम के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, त्रिवेंद्रम का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2018-2019 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने वर्ष 2020-2021 के लिए संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रसार एवं विकास और इसके प्रगामी प्रयोग को त्वरित करने के लिए कार्यक्रम तथा इसके कार्यान्वयन के बारे में 52वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) एस.के.आर. प्यूपिल्स वेलफेयर सोसायटी, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) एस.के.आर. प्यूपिल्स वेलफेयर सोसायटी, प्रकाशम जिला, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) द केयर लैंड, कुरनूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) द केयर लैंड, कुरनूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) द रोटरी इंस्टिट्यूट फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, तिरूवनंतपुरम, केरल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द रोटरी इंस्टिट्यूट फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल केयर, तिरूवनंतपुरम, केरल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन, दर्रांग, असम के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।।

(दो) धुला रीजनल फिजिकली हैंडीकैप्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन, दर्रांग, असम के वर्ष 2012-2013 और 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) शिशु सखा संघ खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिशु सखा संघ खुर्दा, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) द सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, गुंटुर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, गुंटुर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी

संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) द ओपन लर्निंग सिस्टम्स, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) द ओपन लर्निंग सिस्टम्स, भुवनेश्वर, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) नेहरू युवजन सेवा संगम, चित्तूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवजन सेवा संगम, चित्तूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2012-2013 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय विकलांग कल्याण समिति, अयोध्या, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) बिकाश भारती कल्याण समिति, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।।

(दो) बिकाश भारती कल्याण समिति, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण

दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:

(i) कि 1 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में, राज्यसभा लोकसभा द्वारा यथापारित सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(ii) कि 1 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में, राज्यसभा लोकसभा द्वारा यथापारित भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

6. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री हरीश द्विवेदी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:-

(1) नवोदय विद्यालय समिति/जवाहर नवोदय विद्यालय (*पूर्ववर्ती* आदर्श विद्यालय) में 1 जनवरी, 2004 से पहले अपनी सेवाएं शुरू करने वाले कर्मचारियों को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत शामिल किए जाने के अनुरोध के बारे में संसद सदस्यों द्वारा अग्रेषित सर्वश्री योगेंद्र शर्मा, राहुल सिंह, योगेंद्र भक्त, एस. कन्नन, श्रीमती के. मंजुला और अन्य व्यक्तियों/संघों के अभ्यावेदन के बारे में 32वां प्रतिवेदन।

(2) सब्सिडी जारी किए जाने, ऋणों का पुनर्गठन किए जाने, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराए जाने और निरीक्षण पूरा किए जाने, आदि के अनुरोध के बारे में श्री कैलाश गोरख पाटिल, अध्यक्ष, चोपदा तालुका सेतकारी सहकारी सूतगिरनी मर्यादित, चोपदा, जलगांव (महाराष्ट्र) के अभ्यावेदन के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

(3) देश में पत्रकारिता में सुधार आरंभ करने और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री मनोहर सिंह और अन्य के अभ्यावेदन के बारे में याचिका समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति (सत्रहवीं लोक सभा) की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

7. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बालाशौरी बल्लभनेनी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये-

(1) रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अधीन अधीनस्थ विधान अर्थात् नियम/विनियम आदि बनाए जाने की स्थिति के बारे में उन्नीसवां प्रतिवेदन।

(2) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई के बारे में बीसवां प्रतिवेदन।

8. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये :-

(1) 'विद्युत टैरिफ नीति की समीक्षा - पूरे देश में टैरिफ संरचना में एकरूपता की आवश्यकता' विषय के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

(2) 'भारत में पवन ऊर्जा का मूल्यांकन' विषय के बारे में 27वां प्रतिवेदन।

(3) '175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य योजना' विषय के बारे में 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

(4) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों को आबंटित कोयला ब्लॉकों का विकास' विषय के बारे में 18वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

(5) 'विद्युत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन/पूरा होने में विलंब' विषय के बारे में 19वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कारवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।

9. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों के अध्याय एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई और अध्याय पांच के संबंध में अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाले अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) अनुदानों की मांगों (2021-22) (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के बारे में नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(2) अनुदानों की मांगों (2021-22) (उपभोक्ता मामले विभाग) के बारे में 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(3) 'आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि - कारण और प्रभाव' (उपभोक्ता मामले विभाग) विषय के बारे में 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(4) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण - प्रौद्योगिकीय साधनों के प्रयोग में वृद्धि करना तथा 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना का कार्यान्वयन' (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) विषय के बारे में 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

10. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डॉ. संजय जायसवाल ने जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख

डॉ. संजय जायसवाल ने जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य के अभिलेख सभा पटल पर रखे।

***अपराह्न 12.06 बजे**

12. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) की ओर से कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 38वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सभा पटल पर रखा।

(2) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(i) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) पर विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 299वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

---

* अपराह्न 12.07 बजे से अपराह्न 12.51 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

(ii) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) पर विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 299वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में 302वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(iii) भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) पर विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरूगन) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार) की ओर से पशुपालन और डेयरी विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रबंधन और उससे संबंधित मुद्दों' के बारे में विभाग से संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 229वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 236वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) ने मत्स्यपालन विभाग; मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) पर कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 39वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(लोक सभा अपराह्न 12.51 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.01 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गुप्त काल के सूर्य मंदिर और देव ताल से संबंधित पर्यटन योजनाओं के बारे में।

(2) डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा कलबुर्गी हवाई अड्डे पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के बारे में।

(3) श्री उपेन्द्र सिंह रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के बारांबंकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के बारे में।

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह द्वारा हरियाणा के हिसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 52 पर सर्विस लेन के निर्माण के बारे में।

(5) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने के बारे में।

(6) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार में किसानों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया उपलब्ध कराए जाने के बारे में।

(7) श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा मसूरी एक्सप्रेस और गढ़वाल एक्सप्रेस का परिचालन बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा जिले में सिलिकोसिस के उपचार हेतु अस्पताल की स्थापना और जिले में पत्थर पर नक्काशी के संरक्षण और संवर्धन हेतु औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने के बारे में।

(9) श्री पशुपति नाथ सिंह द्वारा झारखण्ड के धनबाद में हवाई अड्डा स्थापित किए जाने के बारे में।

(10) श्री रामदास तडस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट किराये में दी जानी वाली रियायत को बहाल किए जाने के बारे में।

(11) श्रीमती रंजनबेन भट्ट द्वारा वडोदरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुलों को छह लेन का किए जाने के बारे में।

(12) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में गंगा और पुलहर नदी द्वारा हो रहे भूमि अपरदन के बारे में।

(13) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित किए जाने के बारे में।

(14) श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति आदेश में कुछ जनजातीय समुदायों को शामिल किए जाने के बारे में।

(15) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल समपार सं. 41 पर रेल अंडर पास अथवा समपार का निर्माण किए जाने के बारे में।

(16) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री दीपक बैज द्वारा रसोई गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के बढ़ते मूल्य के बारे में।

(18) एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) कर्मियों के वेतन के पुनरीक्षण के बारे में।

(19) श्री कुलदीप राय शर्मा द्वारा ओडिशा में पुरी से डिगलीपुर (उत्तरी और मध्य अंडमान) तक समुद्री ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने के बारे में।

(20) श्री एस.आर. पार्थिबन द्वारा सलेम जिले में समेकित वस्त्र पार्क परियोजना हेतु स्वीकृति और धनराशि प्रदान किए जाने के बारे में।

(21) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा पीएमएवाई (ग्रामीण) योजना के लाभार्थियों की सूची के बारे में।

(22) श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा गिग और प्लेटफार्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने के बारे में।

(23) प्रो. सौगत राय द्वारा देश में रोजगार के अवसर सृजित किए जाने के बारे में।

(24) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा पेनगंगा नदी को वेनगंगा-नलगंगा नदी जोड़ सर्वेक्षण में शामिल किए जाने के बारे में।

(25) श्री अनुभव मोहंती द्वारा ओडिया भाषा के संवर्धन हेतु धनराशि जारी किए जाने के बारे में।

(26) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा बिहार के अरवल जिले में कृषि प्रसंस्करण संकुल (एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर) की स्थापना के बारे में।

(27) श्री पी.आर. नटराजन द्वारा जनवरी, 2016 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के दौरान कामगारों के लिए उपदान (ग्रच्युटी) की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ा कर 20 लाख रुपये किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(28) श्री सय्यद ईमत्याज जलील द्वारा ओस्टोमी के रोगियों को स्थायी दिव्यांग श्रेणी में शामिल किए जाने के बारे में।

(29) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम में सीजीएचएस औषधालय के बारे में।

(30) कुमारी अगाथा के. संगमा द्वारा मेघालय के केंद्रीकोना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थिति एवं विद्यालय के कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन स्कीम (1972) के अंतर्गत शामिल किए जाने के बारे में।

अपराह्न 2.02 बजे

14. सरकारी विधेयक - पारित

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021

आबंटित समय: 04 घंटे

लिया गया समय: 5 घंटे 05 मिनट

श्री भूपेन्द्र यादव ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
2. श्री कीर्ति वर्धन सिंह
3. श्री ए. राजा
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री कुरुवा गोरंतला माधव
6. श्री राहुल रमेश शेवाले
7. श्री सुनील कुमार
8. [&]डॉ. राजकुमार रंजन सिंह (हस्तक्षेप किया)
9. श्रीमती शर्मिष्ठा कुमारी सेठी
10. श्री राम शिरोमणि वर्मा
11. श्री फैजल पी.पी. मोहम्मद
12. श्री जयदेव गल्ला
13. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
14. कुमारी दिया कुमारी
15. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी
16. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
17. डॉ. एस.टी. हसन
18. श्रीमती अपराजिता सारंगी
19. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
20. श्री गणेश सिंह
21. श्री हनुमान बेनीवाल
22. श्री पी. रविन्द्रनाथ
23. श्री जनार्दन मिश्र
24. श्री हसनैन मसूदी
25. श्री एंटो एन्टोनी
26. सुश्री अगाथा के. संगमा
27. श्रीमती नवनित रवि राणा

[&] विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

28. श्री सुरेश कुमार पुजारी
29. श्री थोमस चाज़िकाडन
30. डॉ थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
31. डॉ. मोहम्मद जावेद
32. सरदार सिमरनजीत सिंह मान
33. श्रीमती गोड्डेति माधवी
34. प्रो. सौगत राय
35. श्री जसबीर सिंह गिल
36. श्री ढाल सिंह बिसेन
37. सुश्री राम्या हरिदास
38. श्री अधीर रंजन चौधरी
39. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव

श्री भूपेन्द्र यादव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 अस्वीकृत हुआ।

खंड 6 से 10 स्वीकृत हुए।

खंड 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 13, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 14 स्वीकृत हुआ।

खंड 15, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 16 और 17 स्वीकृत हुए।

श्री भूपेन्द्र यादव ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

" कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 की सरकारी संशोधन संख्या 9 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 17क के अंत:स्थापन के लिए संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 17क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 18 से 25 स्वीकृत हुए।

खंड 22, स्वीकृत हुआ।

खंड 26 स्वीकृत हुआ।

खंड 27, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 28 और 29 स्वीकृत हुए।

खंड 30, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 31 स्वीकृत हुआ।

खंड 32 और 33 स्वीकृत हुए।

खंड 34 और 35 स्वीकृत हुए।

खंड 36, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 37 स्वीकृत हुआ।

खंड 38, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 39 स्वीकृत हुआ।

खंड 40, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 41, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री भूपेन्द्र यादव द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, पारित किये जाने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

सायं 7.07 बजे

(लोक सभा बुधवार, 03 अगस्त, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 03 अगस्त, 2022/ 12 श्रावण, 1944 (शक)

संख्या 189

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 241 और 243 के मौखिक उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न सं. 242 और 244 से 260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.15 बजे स्थगित हुई और
मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी-

(1) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक -महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2022 का संख्यांक 7) - राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की गतिविधियों की अनुपालन लेखापरीक्षा।

(2) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2022 का संख्यांक 8) - भारतीय इस्पारत प्राधिकरण लिमिटेड की अनुपालन लेखापरीक्षा।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (डिब्बाबंद वस्तुएं) (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 14 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 577(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 204(अ) जो 15 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट संशोधन नियम, 2022 जो 15 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 205(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा.का.नि. 273(अ) जो 5 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स इंडियन माइन प्लानर्स एण्ड कंसल्टेंट्स को अधिसूचित किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 284(अ) जो 5 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स यूनाइटेड एक्सप्लोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(पांच) सा.का.नि. 285(अ) जो 7 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जेमकोकाती एक्सप्लोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(छह) सा.का.नि. 286(अ) जो 7 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी ख अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जियोटेक्निकल माइनिंग सोल्यूशन्स को अधिसूचित किया गया है।

(सात) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 294(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) का.आ. 2050(अ) जो 2 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जियोएक्स्पोर प्राइवेट लिमिटेड और 'श्रेणी ख अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स वी.एम. सलगावकर एण्ड ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड तथा 'श्रेणी क अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स जियोवाले सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 2307(अ) जो 18 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ 'श्रेणी ख अन्वेषण अभिकरण' के अंतर्गत मैसर्स एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड को अधिसूचित किया

गया है।

(दस) खनिज संरक्षण और विकास (संशोधन) नियम, 2022 जो 3 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 415(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 27 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 603(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित पिरदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 507(अ) जो 4 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से रेल भर्ती नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा से पहले या परीक्षा के दौरान परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन सेवाओं को सुकर बनाने हेतु इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 55 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विशेष आर्थिक जोन (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 6 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 519(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) विशेष आर्थिक जोन (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 14 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 576(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) विशेष आर्थिक जोन (संशोधन) नियम, 2022 जो 8 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 से 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से केंदीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) अधिसूचना संख्या 21/2022-सी.ई. जो दिनांक 2 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) अधिसूचना संख्या 22/2022-सी.ई. जो दिनांक 2 अगस्त, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या 18/2022-केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि कच्चे तेल के उत्पादन पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जा सके और विमानन टर्बाइन ईंधन के निर्यात में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

4. विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने 'प्रवासी भारतीयों का कल्याण: नीतियां/योजनाएं' विषय के बारे में विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा लोक उद्यम विभागों) की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

(2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 41वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन।

(3) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट

सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 49वां प्रतिवेदन।

(4) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 43वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

(5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 51वां प्रतिवेदन।

6. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण

श्री शंकर लालवानी ने आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित तीन अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'महानगरों में वर्षा जल संचयन' संबंधी 24वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के बारे में अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।

(2) 'खतरनाक अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' विषय संबंधी 25वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के बारे में अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।

(3) 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22)' संबंधी पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के बारे में अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण।

7. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रतापराव जाधव ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का समालोचनात्मक मूल्यांकन'' संबंधी 20वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन।

(2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।

(3) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।

(4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

8. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) ने निम्नलिखित में बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोयला संरक्षण और देश भर में कोयले की ढुलाई के लिए अवसंरचना का विकास' संबंधी कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) संबंधी विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 112वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति की बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'कृषि और समुद्री उत्पादों, बागान फसलों, हल्दी और कॅयर के निर्यात' संबंधी विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'कृषि और समुद्री उत्पादों, बागान फसलों, हल्दी और कॅयर के निर्यात' संबंधी विभाग से संबंधित वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 154वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 162वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

9. केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए चार सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने श्री पीयूष गोयल की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि केंद्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.07 बजे

10. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रो. सौगत राय ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

विद्युत मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री आर.के. सिंह) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 12.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी द्वारा भारत में पिन कोड प्रणाली के जनक श्रीराम भिकाजी वेलणकर के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रीय विद्यालय का पुनरुद्धार किए जाने एवं इसे एक राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखंड को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किए जाने के बारे में।

(4) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा एकता एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14795/96) की सेवाएं बहाल किए जाने के बारे में।

(5) श्री अरुण साव द्वारा छत्तीसगढ़ में क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा) के अंतर्गत किए गए कार्यों की जांच किए जाने के बारे में ।

(6) श्री मितेष रमेशभाई पटेल द्वारा दीपावली, होली और दशहरा पर्वों के अवसर पर छुट्टियों के बारे में ।

(7) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के डिजिटलीकरण को पूरा किए जाने के बारे में।

(8) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील द्वारा अहमदनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सूरत-अहमदनगर न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना को पूरा कर चालू किए जाने के बारे में।

(9) श्रीमती दिया कुमारी द्वारा राजस्थान के राजसंमद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वीकृत केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना शीघ्र किए जाने के बारे में ।

(10) श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में एक सैनिक स्कूल खोले जाने के बारे में ।

(11) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के गढ़वा जिले में नगर उंटारी (श्री बंसीधर नगर) रेलवे स्टेशन पर रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में विमान संपर्क की सुविधा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(13) डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति के बारे में।

(14) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर बरगवां समपार पर उपरि पुल का निर्माण किए जाने के बारे में ।

(15) श्री विजयकुमार (उर्फ) विजय वसंत द्वारा कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सड़क एवं रेलवे संबंधी कार्यों को पूरा किए जाने एवं समुद्र से होने वाले अपरदन को रोके जाने के बारे में ।

(16) श्री के. षणमुग सुंदरम द्वारा देशी खाद्य तेलों को बढ़ावा देने वाली योजना के बारे में ।

(17) श्री मद्दीला गुरूमूर्ति द्वारा तिरुपति स्थित आईआईटी और आईआईएसईआर को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किए जाने के बारे में ।

(18) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा कुलटली और जयनगर के बीच रेल संपर्क की सुविधा प्रदान किए जाने के बारे में ।

(19) श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर द्वारा दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में सड़कों के निर्माण के बारे में ।

(20) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार स्थित सहरसा जंक्शन से गाड़ी संख्या 02563/02564 का परिचालन बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(21) श्री गिरीश चन्द्र द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के बारे में।

(22) श्री हसनैन मसूदी द्वारा न्यूनतम मजदूरी प्रदान किए जाने एवं कामगारों को नियमित किए जाने के बारे में ।

(23) श्रीमती मंजुलता मंडल द्वारा ओडिशा में प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थियों के बारे में।

अपराह्न 2.01 बजे

12. सरकारी विधेयक - पारित

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022

आबंटित समय: 04 घंटे

लिया गया समय: 1 घंटा 46 मिनट

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
2. श्री कौशलेन्द्र कुमार
3. श्रीमती संगीता आज़ाद
4. *श्री अश्वनी वैष्णव
5. श्री चंद्र शेखर साहू
6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
7. श्री रेड्डप्प नालकोण्डा गरि
8. श्री राम कृपाल यादव
9. श्री हसनैन मसूदी
10. %श्री किंजरापु राम मोहन नायडू

(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराह्न 2.59 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 4.00 बजे

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 6 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान द्वारा विधेयक पारित किये जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.48 बजे

13. सरकारी विधेयक- वापस लिया गया

#डाटा संरक्षण विधेयक, 2021, संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित

---

*रेल मंत्री; संचार मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

%उन्होंने सभा पुन: समवेत होने के उपरान्त अपना भाषण पुन: आरम्भ किया।

#विधेयक 11 दिसम्बर, 2019 को पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक जांच और प्रतिवेदन के लिए सभाओं की संयुक्त समिति को प्रेषित किया गया था तथा संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 16.12.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। विधेयक को वापस लिए जाने के कारण दर्शाने वाला एक वक्तव्य सदस्यों को आज (3.8.2022) को प्रचालित किया गया है।

अपराहन 4.49 बजे

14. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत्य समय: 02 घंटे

लिया गया समय: 03 घंटे 13 मिनट

श्री गौरव गोगोई द्वारा 31 मार्च, 2022 को उठाए गए मुद्दे 'भारत में खेल-कूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता और सरकार द्वारा इस सबंध में उठाए गए कदमों' पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया**:-**

1. डॉ. निशिकांत दुबे
2. कुंवर दानिश अली
3. डॉ. सत्यपाल सिंह
4. श्री विजय कुमार
5. श्री जगदम्बिका पाल
6. श्रीमती गोड्डेति माधवी
7. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोकसभा गुरुवार, 4 अगस्त, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 04 अगस्त, 2022/ 13 श्रावण, 1944 (शक)

संख्या 190

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 265 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं. 266 से 280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.33 बजे स्थगित हुई और
अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

*सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत एनएचएआई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बीओटी परियोजनाओं में प्रीमियम का सुव्यवस्थीकरण/आस्थगन के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2022 का संख्यांक 11) - (अनुपालन लेखापरीक्षा) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

---

* अपराह्न 2.08 बजे।

(दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, अमेठी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 2022 जो 08 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 289(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 01 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 253(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(तीन) वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) (संशोधन) नियम, 2022 जो 22 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 310(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(7) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 364(अ) जो 28 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग को कर्नाटक राज्य सरकार को सौंपने के बारे में है।

(दो) का.आ. 709(अ) और का.आ. 711(अ) जो 15 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(तीन) का.आ. 791(अ) और का.आ. 792(अ) जो 18 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(चार) का.आ. 850(अ) और का.आ. 851(अ) जो 25 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग को तेलंगाना राज्य सरकार को सौंपने के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1591(अ) और का.आ. 1593(अ) जो 04 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग को तमिलनाडु राज्य सरकार को सौंपने के बारे में है।

(छह) का.आ. 1030अ) और का.आ. 1031(अ) जो 09 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजमार्गों को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(सात) का.आ. 1129 (अ) और का.आ. 1130(अ) जो 11 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1261(अ) जो 22 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्गों को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को सौंपने के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1880(अ) जो 20 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(दस) का.आ. 2016 (अ) जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 2017 (अ) जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

मिजोरम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(बारह) का.आ. 2214 (अ) जो 13 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 2253 (अ) जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 2365(अ) और का.आ. 2366(अ) जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(पंद्रह) का.आ. 2402(अ) और का.आ. 2408(अ) जो 27 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को बीआरओ को सौंपने के बारे में हैं।

(सोलह) का.आ. 2773 (अ) जो 16 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 2815(अ) और का.आ. 2817 (अ) जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग को गुजरात राज्य सरकार को सौंपने के बारे में हैं।

(अठारह) का.आ. 2818(अ) जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग को बिहार राज्य सरकार को सौंपने के बारे में हैं।

(उन्नीस) का.आ. 2917 (अ) जो 28 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो त्रिपुरा राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(बीस) का.आ. 2918(अ) और का.आ. 2920(अ) जो 28 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(इक्कीस) का.आ. 3049(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मिजोरम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 3113(अ) जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 3123(अ) जो 07 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 3136(अ) जो 08 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 3138(अ) और का.आ. 3141(अ) जो 08 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई को सौंपने के बारे में हैं।

(छब्बीस) का.आ. 3163(अ) और का.आ. 3164(अ) जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग को महाराष्ट्र राज्य सरकार को सौंपने के बारे में हैं।

(सत्ताईस) का.आ. 3199(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई को सौंपने के बारे में है।

(अठ्ठाईस) का.आ. 3253(अ) जो 20 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को एनएचएआई को सौंपने के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 3117(अ) जो 07 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र

प्रदेश राज्य में एनएच-544इ के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 56.803 (वर्तमान किमी. 0.00 से किमी. 59.100) के कोडिकोण्डा जंक्शन से मडकसीरा खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(तीस) का.आ. 3120(अ) जो 07 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-214 (नया एनएच 216) के डिजाइन किलोमीटर 45.000 से किलोमीटर 106.000 (वर्तमान किमी. 41.161 से किमी. 105.170) के गुराजानापल्ली से पसारलापुडी परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 3147(अ) जो 08 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-709ख के डिजाइन किलोमीटर 61.409 से किलोमीटर 124.181 (वर्तमान किमी. 92.200 (शामली के निकट) से किमी.155.025 (सहारनपुर के पास) के शामली से सहारनपुर खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(बतीस) का.आ. 3181(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-233 (नया एनएच-28) के डिजाइन किलोमीटर 180.420 से किलोमीटर 240.340 (वर्तमान किमी. 169.070 से किमी. 232.140) के घाघरा पुल से वाराणसी खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 3182(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में पुराना एनएच-206 (नया एनएच-73 और 69) के डिजाइन किलोमीटर 12.300 से किलोमीटर 83.800 (वर्तमान किमी. 12.310 से किमी. 85.100) के मल्लासांद्रा से तिपतुर बाईपास अंतिम खण्ड और डिजाइन किलोमीटर 83.800 से किलोमीटर 155.300 (वर्तमान किमी. 85.100 से किमी. 151.200) के तिपतुर बाईपास अंतिम से बिरूर खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 3197(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएच-365खख (पुराना एसएच-42) के डिजाइन किलोमीटर 0.420 से किलोमीटर 59.046 (वर्तमान किमी. 0.000 से किमी. 50.750) के सूर्यापेट-खम्मम खण्ड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 3198(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में एनएच-47ख (नया एनएच-944) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 16.376 (वर्तमान किमी. 4.900 से किमी. 22.600) के नागरकोइल से कवलकिनारू की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 3205(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-60 के डिजाइन किलोमीटर 12.190 से किलोमीटर 42.000 के नासिकफटा से खेड़ खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 3206(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच-91 के डिजाइन किलोमीटर 149.900 से किलोमीटर 195.733 (वर्तमान किमी. 140.200 से किमी. 186.000) के अलीगढ़-कानपुर खण्ड की चार या अधिक लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 3222(अ) जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएच-60 के किलोमीटर 76.600 से किलोमीटर 112.000 के सवाई माधोपुर से श्योपुर खण्ड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 3223(अ) जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच-548ग के मन्था तालुक सीमा - वातुरफाटा-अस्ती-माजलगांव-धरूर-कैज-

कलम्ब-यरमाला-कुशालम्ब-बरशी के किलोमीटर 101.740 से किलोमीटर 159.258 (खण्ड-3) के माजलगांव से कैज खण्ड की बाह्य पट्टी वाली दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखों के लेबलों पर उनके प्रदर्शन की रीति और विशिष्टताएं) विनियम, 2022 जो 19 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीईई/एसएण्डएल/सीलिंग फैन/05/2019-20 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान-निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान-निकोबार द्वीप एकीकृत विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

1. भारत सरकार तथा जोशी टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल, इंक. के बीच फील्ड ढोलका के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

2. भारत सरकार तथा लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, भारत और जोशी टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल इंक, यूएसए के बीच वेवेल फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा ।

3. भारत सरकार तथा मोसबाचर इंडिया एलएलसी और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और पेट्रोडाइन इंक के बीच पीवाई-1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

4. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएन-7 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

5. भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और

जनरल फाइबर डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच ब्लॉक एएपी-ओएन-94/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

6. भारत सरकार तथा सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच फील्ड लोहार के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

7. भारत सरकार तथा सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच उत्पादन बकरोल फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में साझेदारी संविदा।

8. भारत सरकार तथा सेलन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बीच कारजिसन क्षेत्र के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

9. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और शेल इंडिया प्रोडक्शन डेवलपमेंट बीवी के बीच ब्लॉक आरजे-ओएन-90/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

10. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वीडियोकॉन पेट्रोलियम लिमिटेड और कमांड पेट्रोलियम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और राववा ऑयल (सिंगापुर) पीटीई लिमिटेड के बीच रवा ऑयल एंड गैस फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा ।

11. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टाटा पेट्रोडाइन प्राइवेट लिमिटेड और केएर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएस-2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध उत्पादन साझेदारी संविदा।

12. भारत सरकार तथा ऑयलमैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और असम कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के बीच फील्ड अमगुरी के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

13. भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनआईकेओ रिसोर्सेज, कनाडा के बीच कैम्बे फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

14. भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनआईकेओ रिसोर्सेज, कनाडा के बीच भांडुत फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

15. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वाल्को एनर्जी इनकॉर्पोरेटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और टाटा पेट्रोडाइन प्राइवेट लिमिटेड (टीपीएल), हार्डी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया के बीच ब्लॉक सीवाई-ओएस-90/1 (पीवाई-3) के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा ।

16. भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच उनावा के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

17. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एस्सार ऑयल लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएन/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

18. भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच एलोरा के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

19. भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच नार्थ कथाना के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में

उत्पादन साझेदारी संविदा।

20. भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और हीरामेक लिमिटेड के बीच ढोलसन के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

21. भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच फील्ड कंवारा के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

22. भारत सरकार तथा इंटरलिंक पेट्रोलियम लिमिटेड के बीच बाओला फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

23. भारत सरकार तथा सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (सनपेट्रो) के बीच फील्ड हजीरा के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

24. भारत सरकार तथा इंटरलिंक पेट्रोलियम लिमिटेड के बीच मोढेरा फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

25. भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड और असम कंपनी लिमिटेड और कैनोरो रिसोर्सेज लिमिटेड और सेंचुरियन एनर्जी इंटरनेशनल इंक के बीच ब्लॉक एए-ओएन/7 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

26. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टुल्लो इंडिया ऑपरेशंस लिमिटेड के बीच ब्लॉक एए-ओएनजे/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा ।

27. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वाल्को एनर्जी इंक और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और टाटा पेट्रोडाइन लिमिटेड के बीच ब्लाक सीवाई-ओएस/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

28. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अडाणी वेलस्पन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक जीके-ओएसएन-2009/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

29. भारत सरकार तथा केर्न इंडिया लिमिटेड और केएर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच ब्लॉक केजी-ओएसएन-2009/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

30. भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक वीएन-ओएनएन-2009/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

31. भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और जियोपेट्रोल इंटरनेशनल इंक और एनप्रो इंडिया लिमिटेड और जियोनप्रो पेट्रोलियम लिमिटेड के बीच खरसांग फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

32. भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2001/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

33. भारत सरकार तथा हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पेट्रोडाइन इंक, यूएसए के बीच असजोल फील्ड के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

34. भारत सरकार तथा हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच उत्तरी बलोल के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध

में उत्पादन साझेदारी संविदा।

35. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और फीनिक्स ओवरसीज लिमिटेड के बीच ब्लॉक आरजे-ओएन-6 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

36. भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएन-2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

37. भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और जोशी टेक्नोलॉजीज इंटरनेशनल इंक के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2000/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

38. भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक एए-ओएनएन-2001/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

39. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक एए-ओएनएन-2001/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

40. भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जुबिलेंट एनप्रो लिमिटेड और जियोग्लोबल रिसोर्सेज (इंडिया) इंक के बीच ब्लॉक केजी-ओएसएन-2001/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

41. भारत सरकार तथा गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जुबिलेंट एनप्रो प्राइवेट लिमिटेड और प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड और जियो ग्लोबल रिसोर्सेज (बारबाडोस) इंक. के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2002/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

42. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीवाई-ओएनएन-2002/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

43. भारत सरकार तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2003/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

44. भारत सरकार तथा केर्न एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केर्न एक्सप्लोरेशन (नंबर 4) लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक केजी-ओएनएन-2003/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

45. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और बीजी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड के बीच ब्लॉक केजी-ओएसएन-2004/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

46. भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक जीएस-ओएसएन-2004/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

47. भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और जियोग्लोबल रिसोर्सेज (बारबाडोस) इंक. के बीच ब्लॉक केजी-ओएनएन-2004/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

48. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हेरामेक लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2004/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

49. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सुनटेरा रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2004/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

50. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2004/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

51. भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और शिव-वाणी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड के बीच ब्लॉक एमजेड-ओएनएन-2004/1 (फ्रंटियर एरिया ब्लॉक) के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

52. भारत सरकार तथा ऑयल एण्ड गैस नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीवाई-ओएनएन-2004/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

53. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक एमबी-ओएसएन-2005/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

54. भारत सरकार तथा अदानी वेलस्पन एक्सप्लोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक एमबी-ओएसएन-2005/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

55. भारत सरकार तथा एस्सार एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड और नोबल एनर्जी इंटरनेशनल लिमिटेड ऑयल के बीच ब्लॉक एमबी-ओएसएन-2005/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

56. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2005/10 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

57. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच ब्लॉक डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/4 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

58. भारत सरकार तथा दीप एनर्जी लिमिटेड और दीप एनर्जी एलएलसी और दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कनवेल फाइनेंस लिमिटेड और सावला एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच ब्लॉक एसआर-ओएनएन-2005/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

59. भारत सरकार तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच ब्लॉक जीके-ओएसएन-2010/1 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

60. भारत सरकार तथा भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और बीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और मोनेट इस्पात एनर्जी लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2010/8 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

61. भारत सरकार तथा बीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2010/11 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा ।

62. भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड और ईस्ट वेस्ट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के बीच ब्लॉक एए-ओएनएन-2010/2 के रूप में

परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

63. भारत सरकार तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड के बीच ब्लॉक एए-ओएनएन-2010/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

64. भारत सरकार तथा दीप एनर्जी लिमिटेड, एलएलसी और केजीएन ऑयल एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन2010/3 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

65. भारत सरकार तथा पैनइंडिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच ब्लॉक सीबी-ओएनएन-2010/5 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

66. भारत सरकार तथा फोकस एनर्जी लिमिटेड और बिर्कबेक इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड के बीच ब्लॉक आरजे-ओएनएन-2010/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

67. भारत सरकार तथा दीप एनर्जी लिमिटेड, एलएलसी, दीप नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड और सफल डब्ल्यूएसबी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (सफल) के बीच ब्लॉक वीएन-ओएनएन-2010/2 के रूप में परिलक्षित संविदा क्षेत्र के संबंध में उत्पादन साझेदारी संविदा।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 86 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 3184(अ) जो 14 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित केंद्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों के पुनर्चक्रण के बारे में है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी कि 3 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में, राज्यसभा लोकसभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी विधेयक, 2022 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रामशिरोमणि वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) बीमा लोकपाल नियम, 2017 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, परा-चिकित्सा और सामान्य श्रेणी (समूह ग पद) भर्ती नियम, 2015 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

(3) खनिज (गैर-अनन्य पूर्व-परीक्षण परमिट) नियम, 2015 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 23वां प्रतिवेदन।

7. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने '"बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं' योजना के विशेष संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण" विषय के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2021-2022) के 5वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. रक्षा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जुएल ओराम ने 'आयुध निर्माणियां, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) (मांग संख्या 20) के बारे में वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में रक्षा संबंधी स्थायी समिति (17वीं लोक सभा) के 22वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 13वां प्रतिवेदन (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) श्रम और रोज़गार मंत्रालय तथा कुछ अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित 'अन्तर्राज्यीय प्रवासी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी उपायों' के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(2) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित 'राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना(एनएटीएस)' के बारे में समिति के 33वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

10. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राधा मोहन सिंह ने 'भारतीय रेल में यात्री आरक्षण प्रणाली' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी समिति का 12वां प्रतिवेदन (हिन्दीं तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

11. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि)' विषय के बारे में 10वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(2) 'आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी 12वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

12. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 28वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन। ।

(2) खान मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 29वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 30वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वां प्रतिवेदन।

(4) खान मंत्रालय से संबंधित 'देश में एल्युमिनियम और कॉपर उद्योग का विकास' विषय संबंधी 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(5) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'इस्पात क्षेत्र में कौशल विकास' विषय संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

13. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का पैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराह्न 2.05 बजे

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित के बारे विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) पर विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 304वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 310वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर विभाग से संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 315वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु) ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-2023) पर जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के 15वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

15. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखण्ड के चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बरवाडीह, लातेहार और छीपादोहर रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के बारे में ।

(2) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा संविधान की आठवीं अनुसूची में कोशाली को शामिल किए जाने के बारे में ।

(3) श्री हँसमुखभाई सोमभाई पटेल द्वारा गुजरात के नरोडा में ईएसआईसी अस्पताल को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किए जाने के बारे में ।

(4) श्री सुनील सोरेन द्वारा झारखंड के देवघर जिले में जल-विद्युत या ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के बारे में।

(5) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा रीवा-मुंबई सीएसएमटी रेलगाड़ी (गाड़ी संख्या 02187/88) के प्रचालन के बारे में।

(6) श्री कनकमल कटारा द्वारा बांसवाड़ा (राजस्थान) में मानगढ़ धाम एवं इसकी परंपरागत आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा रेल परियोजनाओं हेतु जिन लोगों की भूमि अधिगृहीत की गई है उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे की दर एवं रोजगार के बारे में ।

(8) श्री मनोज तिवारी द्वारा उत्तर-पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सोनिया विहार में मूलभूत जन सुविधाएं प्रदान किए जाने के बारे में ।

(9) श्री सुरेश पुजारी द्वारा ओडिशा में राजसहायता प्राप्त उर्वरकों की समान रूप से आपूर्ति किए जाने के बारे में ।

(10) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड़-लोहा-अहमदपुर-लातूर रोड तथा बोधन-मुखेड-लातूर रोड रेल मार्गों के निर्माण की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में ।

(12) श्री (एडवोकेट) डीन कुरियाकोस द्वारा वन सीमा क्षेत्र के आसपास बफर जोन बनाए जाने के बारे में ।

(13) श्री सुरेश कोडिकुन्नील द्वारा ईएसआईसी एझुकोन को सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा महाविद्यालय में परिवर्तित किए जाने के बारे में ।

(14) श्री के. मुरलीधरन द्वारा यमन की यात्रा पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(15) डॉ. गौतम सिगामणि पोन द्वारा तमिलनाडु में यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश दिए जाने के बारे में ।

(16) श्री कानुमुरु रघु राम कृष्ण राजू द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यालयों के विलय के बारे में।

(17) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा महाराष्ट्र के मावल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित टाइगर प्वांइट, लोनावाला में पर्यटकों हेतु सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(18) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा नेपाल में कोसी नदी पर बांध के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(19) श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उर्वरकों एवं बीज की कीमतों में वृद्धि को वापस लिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(20) श्री के. राम मोहन नायडू द्वारा जाति-आधारित जनगणना तथा रिक्त पदों को भरे जाने के बारे में ।

(21) श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर द्वारा ब्रेल एवं संकेत भाषा के विकास तथा कॉकलियर इंप्लांट उपकरणों पर जीएसटी के बारे में ।

(22) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा अग्निपथ योजना के बारे में ।

अपराह्न 2.08 बजे

16. सांविधिक संकल्प

(एक) श्री पंकज चौधरी[$] ने श्रीमती निर्मला सीतारमण[%] की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8(1) के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 28/2022-सीमा-शुल्क, दिनांक 21 मई, 2022 [सा.का.नि. 380(अ) दिनांक 21 मई, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है ताकि इस्पात उद्योग के कतिपय कच्चे माल और मध्यवर्ती माल पर निर्यात शुल्क बढ़ाया और उदग्रहीत किया जा सके।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री पंकज चौधरी[$] ने श्रीमती निर्मला सीतारमण[%] की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि वित्त अधिनियम, 2002 की धारा 147 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना सं. 05/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022 [सा.का.नि. 493(अ) दिनांक 30 जून, 2022] का एतदद्वारा अनुमोदन करती है जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2002 की आठवीं अनुसूची में संशोधन करना है ताकि कच्चे तेल और एटीएफ पर विशेष अतिरिक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारित किया जा सके।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 2.11 बजे

(व्यवधान के कारण, लोकसभा शुक्रवार, 5 अगस्त, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[$] वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

[%] वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022/ 14 श्रावण, 1944 (शक)

संख्या 191

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री भीम प्रसाद दाहल, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन संबंधी उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर क्रमश: 6 और 9 अगस्त, 1945 को परमाणु बम गिराए जाने की 77वीं वर्षगांठ के संबंध में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्मा की स्मृति और जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित हुए व्यक्तियों के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 283 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं. 284 से 300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.23 बजे स्थगित हुई और मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।)

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे**:-**

(1) (एक) सीमेन्स प्रोविडेन्ट फण्ड ऑर्गेनाईजेशन, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सीमेन्स प्रोविडेन्ट फण्ड ऑर्गेनाईजेशन, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 113 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतर्देशीय जलयान (चालक-दल और यात्री आवास) नियम, 2022 जो 07 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 641(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतर्देशीय जलयान (सर्वेक्षण और प्रमाणन) नियम, 2022 जो 07 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 420(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अंतर्देशीय जलयान (पंजीकरण और अन्य तकनीकी मुद्दे) नियम, 2022 जो 07 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 421(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अंतर्देशीय जलयान (कार्मिक आवश्यकता) नियम, 2022 जो 07 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 422(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अंतर्देशीय जलयान (सुरक्षित नौचालन, संचार और संकेत) नियम, 2022 जो 07 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 424(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम, 2022 जो 07 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 425(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) अंतर्देशीय जलयान (अग्निशामक उपकरण) नियम, 2022 जो 07 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) अंतर्देशीय जलयान (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 2022 जो 07 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 427(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) अंतर्देशीय जलयान (बीमा, देयता की सीमा तथा सेवा प्रदाताओं और सेवा प्रयोक्ताओं के दायित्व) नियम, 2022 जो 14 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 449(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) का.आ. 743(अ) जो 16 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 फरवरी, 2022 को अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 1 और 106 के उपबंधों के प्रभावी होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 2604(अ) जो 07 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 07 जून, 2022 को अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 2 से 105 तथा 107 से 114 के उपबंधों के प्रभावी होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है।

(4) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 की धारा 51 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (केन्द्रीय सलाहकार समिति प्रक्रियात्मक) नियम, 2022 जो 02 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 330(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (धरोहर प्रकाश स्तम्भों का विकास) नियम, 2022 जो 05 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 512(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (महानिदेशक के कर्तव्य) नियम, 2022 जो 13 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 443(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (लेखांकन और वित्तीय शक्तियां) नियम, 2022 जो 24 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 390(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) का.आ. 1202(अ) जो 17 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 2022 को नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 के उपबंधों के प्रभावी होने की तारीख के रूप में नियत किया गया है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे**:-**

(1) (एक) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विन्टर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे

(दो) जवाहर इंस्टिट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विन्टर स्पोर्ट्स, पहलगाम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे**:-**

(1) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाजीपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2022 का संख्यांक 1)-वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के स्वास्थ्य बीमा कारोबार में तृतीय पक्षकार प्रशासकों की अनुपालन लेखापरीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राजकुमार रंजन सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नालन्दा विश्वविद्यालय, नालन्दा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नालन्दा विश्वविद्यालय, नालन्दा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) नालन्दा विश्वविद्यालय, नालन्दा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, स्वायत्तशासी बोर्ड (चौथे सदस्य की नियुक्ति की रीति तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें तथा परिसंपत्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्यों की उद्घोषणा) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 475(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (सदस्यों की नियुक्ति तथा नामनिर्देशन की रीति, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें तथा परिसंपत्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्यों की उद्घोषणा) (संशोधन) नियम, 2022 जो जो 24 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 476(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड (नामनिर्देशन द्वारा विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति) नियम, 2022 जो 16 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 453(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 जो 21 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 460(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) नियम, 2022 जो 07 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 419(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड (विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति) नियम, 2022 जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 457(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2021 जो 04 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 532(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

6. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई:-

(1)	श्री संजय शामराव धोत्रे	18.07.2022 से 12.08.2022
(2)	श्री गजानन कीर्तिकर	18.07.2022 से 12.08.2022
(3)	श्री अतुल कुमार *उर्फ* अतुल राय	18.07.2022 से 12.08.2022
(4)	श्री राजन बाबूराव विचारे	25.07.2022 से 12.08.2022
(5)	श्री विनायक भाऊराव राऊत	25.07.2022 से 12.08.2022
(6)	श्री अरविंद सावंत	25.07.2022 से 12.08.2022
(7)	श्री संजय हरिबाबू जाधव	29.07.2022 से 12.08.2022
(8)	श्री ए. गणेशमूर्ति	18.07.2022 से 03.08.2022

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री गुमान सिंह दामोर ने 'नवोदय विद्यालयों/केन्द्रीय विद्यालयों में मैट्रिक-पूर्व/मैट्रिक-उपरांत छात्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, आईआईएम, आईआईटी, चिकित्सा संस्थानों आदि सहित स्वायत्तशासी निकायों/शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-2023) का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री संतोष पाण्डेय ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकार किए गए)' के बारे में 68वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकार न किए गए)' के बारे में 69वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकार किए गए)' के बारे में 70वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोधों (स्वीकार न किए गए)' के बारे में 71वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'पर्यटन मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 72वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 73वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

9. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रितेश पाण्डेय ने सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) के 86वें, 87वें, 88वें, 89वें, 90वें, 91वें, 92वें, 93वें, 94वें, 95वें, 96वें, 97वें और 98वें प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत किया।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का 'राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के कार्यकरण की समीक्षा' संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(2) 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए योजना (एसआईपीडीए) का आंकलन' संबंधी समिति के 23वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

(3) जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' संबंधी समिति के 30वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) पर विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के क्रमश: 126वें और 133वें तथा 127वें और 132वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(2) महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने आयुष मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) पर विभाग से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 128वें तथा 131वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराह्न 12.06 बजे

12. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

13. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) की परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

*श्री मनसुख मांडविया ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि एनआईपीईआर (संशोधन) अधिनियम, 2021 की धारा 30क की उप-धारा (2) के खंड (ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन एनआईपीईआर की परिषद के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हैल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज (एनईआईजीआरआईएचएमएस), शिलांग की शासी परिषद के लिए एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

*डॉ. मनसुख मांडविया ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हैल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलॉग के नियमों के नियम 4(ख) के साथ पठित नियम 3(ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि

---

* स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री

अध्यक्ष निदेश दें, उक्त नियमों के अन्य उपबंधों के अध्यधीन नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हैल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलॉग की शासी परिषद में सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. प्रस्ताव

%श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा 04 अगस्त, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 35वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अपराह्न 12.10 बजे**

16. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(i) नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र (संशोधन) विधेयक, 2022

(ii) प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2022

(लोक सभा अपराह्न 12.59 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.02 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.02 बजे

17. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा वन अधिकार अधिनियम में संशोधन के बारे में।

(2) सुश्री देबाश्री चौधरी द्वारा रायगंज संसदीय क्षेत्र में आप्रवासन कार्यालय का कार्यकरण पुन: चालू करने और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में।

(3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा बुद्ध सर्किट एक्सप्रेसवे को चार लेन का बनाए जाने के बारे में।

(4) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली जिले में बीएसएनएल टावरों की स्थापना के बारे में।

(5) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में।

(6) श्री कृष्णपालसिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश में जिला दिव्यांगता पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना के बारे में।

(7) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण के बारे में ।

(8) श्री रामचरण बोहरा द्वारा राजस्थान के जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में ।

(9) श्री नितेश गंगा देब द्वारा संबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बीएसएनएल टावरों की स्थापना के बारे में।

(10) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ में बसना विकास योजना के अंतर्गत बायपास राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क से संबंधित डिजाइन के बारे में।

% संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री

* अपराह्न 12.12 बजे से अपराह्न 12.59 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(11) श्री अजय निषाद द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को धनराशि के भुगतान में विलंब के बारे में ।

(12) डॉ राजदीप राय द्वारा जोवाई से कलायन रोड तक राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत के बारे में ।

(13) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार के बारे में।

(14) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार में भभुआ रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मा मुंदेश्वरी धाम रेलवे स्टेशन रखे जाने के बारे में।

(15) श्री राजू बिष्ट द्वारा ईएफआरसी, कुर्सियोंग का एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान के रूप में उन्नयन के बारे में।

(16) श्री अब्दुल खालेक द्वारा असम में बाढ़ और अपरदन को एक राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने के बारे में

(17) श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा तेलंगाना में भारी वर्षा से हुए नुकसान के लिए मुआवजे के बारे में।

(18) श्री पी.वेलुसामी द्वारा ग्लोरिओसा सुपर्बा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किए जाने के बारे में।

(19) श्री एस. जगतरक्षकन द्वारा तमिलनाडु क्रोमेट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड, रानीपेट द्वारा क्रोमियम संदूषण के बारे में।

(20) श्रीमती गोड्डेति माधवी द्वारा सतुपल्ली और देवरापल्ली के बीच रेल लाइन के शेष हिस्से को वित्तपोषित करने के बारे में।

(21) श्री सदाशिव किसान लोखंडे द्वारा महाराष्ट्र में बेलापूर-नेवासा-शेवगांव-गेवराई-बीड-पारली रेल लाइन के सर्वेक्षण और निर्माण के बारे में।

(22) डॉ. एस.टी.हसन द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एम्स की स्थापना की आवश्यकता के बारे में।

अपराह्न 2.03 बजे

18. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

आबंटित समय: 4 घंटे
लिया गया समय: 1 घंटा 29 मिनट
शेष समय: 2 घंटे 31 मिनट

श्री आर.के. सिंह ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री जगदम्बिका पाल
2. श्रीमती महुआ मोइत्रा
3. श्री जयदेव गल्ला
4. श्री पी.वी.मिधुन रेड्डी
5. श्री संतोष कुमार
6. श्री गिरीश चन्द्र
7. श्री जी. रणजीत रेड्डी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराह्न 3.32 बजे

19. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित

1. श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(नये अनुच्छेद 371ट का अंत:स्थापन)*

2. श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 *(अनुच्छेद 84 का संशोधन, आदि)*

3. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का औद्योगिक नियोजन और पर्यावरणीय संरक्षण विधेयक, 2021

4. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य का महिला कृषक हकदारी विधेयक, 2021

5. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का राष्ट्रीय परामर्श आयोग विधेयक, 2019

6. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) विधेयक, 2019 *(नए अध्याय 2क का अंत:स्थापन)*

7. श्री जगदम्बिका पाल, संसद सदस्य का अनिवार्य सैन्य भर्ती विधेयक, 2019

8. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 *(धारा 12 का संशोधन)*

9. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, *2022 (अनुच्छेद 93 का संशोधन)*

10. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का अग्निपथ योजना विधेयक, 2022

11. श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य का निस्सहाय बालक *(पुनर्वास और कल्याण)* विधेयक, 2019

12. डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य का बालक श्रम *(उत्सादन)* विधेयक, 2019

13. डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य का गुमशुदा बालक (शीघ्र खोज और पुनर्मिलन) विधेयक, 2019

14. श्री मिधुन रेड्डी, संसद सदस्य का मूलभूत खाद्य वस्तु मूल्य निर्धारण बोर्ड विधेयक, 2019

15. श्री असादुद्दीन ओवैसी, संसद सदस्य का जल का अधिकार विधेयक, 2020

16. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 *(नए अनुच्छेद 220क का अंत:स्थापन)*

17. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 *(नए अनुच्छेद 123क का अंत:स्थापन)*

18. श्री पी.पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (*अनुच्छेद 366 का संशोधन)*

19. श्री निहाल चन्द, संसद सदस्य का राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण आयोग विधेयक, 2021

20. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का बांधों, जलाशयों और नदियों का अनिवार्य आवधिक गाद

निष्कासन विधेयक, 2021

21. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का भारी वर्षा, चक्रवातों और अन्य कारणों से आने वाली बाढ़ के पीड़ित (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2021

22. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का बहु-अंकीय लॉटरी प्रतिषेध विधेयक, 2021

23. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का वरिष्ठ नागरिकों, मंदबुद्धि बालकों और दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा विधेयक, 2021

24. श्री निहाल चन्द, संसद सदस्य का प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2021 *(धारा 20झ का संशोधन)*

25. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य का ओवर-द-टॉप प्लेटफॉर्म विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2021

26. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल, संसद सदस्य का उच्च और तकनीकी शिक्षा (बकाया फीस और शिक्षा ऋण के भुगतान से छूट) विधेयक, 2021

27. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का बाढ़ नियंत्रण और प्रबंध विधेयक, 2021

28. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का बिहार राज्य विशेष वित्तीय सहायता (*कृषक कल्याण हेतु)* विधेयक, 2021

29. श्री बिद्युत बरन महतो, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (*अनुसूची का संशोधन*)

30. श्री बिद्युत बरन महतो, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (*अनुसूची का संशोधन*)

31. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का शैक्षणिक संस्थाओं में अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण विधेयक, 2022

32. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (*धारा 2 का संशोधन, आदि*)।

33. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का विधवाओं और एकल महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण और विधवापन की प्रथा का उन्मूलन विधेयक, 2022

34. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का पुरातत्वीय और प्राकृतिक विरासत संरक्षण और अनुरक्षण विधेयक, 2022

35. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, संसद सदस्य का महासागर तापीय ऊर्जा उपयोग विधेयक, 2022

36. श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य का मध्य प्रदेश राज्य के वन क्षेत्रों में जल निकायों के विकास और पुनरूद्धार के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2022

37. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य का जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2022

38. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य का राजस्थान राज्य के वन क्षेत्रों में जल निकायों के विकास और

पुनरुद्धार के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2022

39. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य का हिंदू धार्मिक उपासना स्थल *(पशुवध, मांस और अन्य मांसाहारी खाद्य के विपणन, व्यापार, पकाने, परोसने और उपभोग का प्रतिषेध)* विधेयक, 2022

40. श्री दिलेश्वर कामैत, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (*अनुसूची का संशोधन)*

41. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य का उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय (*राजभाषा का प्रयोग*) विधेयक, 2022

42. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य का राष्ट्रीय जल विश्वविद्यालय विधेयक, 2022

43. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य का कृषि कर्मकार (कल्याण और संरक्षण) विधेयक, 2022

44. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का धर्म से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन एवं प्रसारण का प्रतिषेध विधेयक, 2022

45. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का विशेष सिंचाई विकास निधि (*वन क्षेत्रों के लिए*) विधेयक, 2022

46. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का बालिका (*वाणिज्यिक दुर्व्यापार का निवारण, पुनर्वास और कल्याण)* विधेयक, 2022

47. श्री विष्णु दयाल राम, संसद सदस्य का राष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (*ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नियंत्रण*) विधेयक, 2022

48. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का केंद्रीय क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला विकास और निगरानी समिति विधेयक, 2022

49. श्री राजीव प्रताप रूडी, संसद सदस्य का हरित क्षेत्र अवसंरचना विकास बोर्ड विधेयक, 2022

50. डॉ. सुकान्त मजूमदार, संसद सदस्य का पूर्वी क्षेत्र पर्यटन संप्रवर्तन प्राधिकरण विधेयक, 2022

51. डॉ. सुकान्त मजूमदार, संसद सदस्य का मछुआरा (विकास और कल्याण) विधेयक, 2022

52. श्री भोला सिंह, संसद सदस्य का अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2022

53. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 *(अनुच्छेद 30 का लोप)*

54. श्रीमती दिया कुमारी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 *(आठवीं अनुसूची का संशोधन)*

55. डॉ. सुकान्त मजूमदार, संसद सदस्य का पान उत्पादक (*कल्याण*) विधेयक, 2022

56. श्री अनुराग शर्मा, संसद सदस्य का सूखा-रोधी उपाय और शमन विधेयक, 2022

57. श्री मिधुन रेड्डी, संसद सदस्य का राष्ट्रीय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग आयोग विधेयक, 2022

58. श्री कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य का सरकारी सेवाएँ *(दिव्यांगजनों की नियुक्ति में कार्यस्थल*

पर सेवा नियमों का विनियमन) विधेयक, 2022

59. श्री कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 *(अनुच्छेद 25 का संशोधन)*

60. श्री कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 *(अनुच्छेद 325 का संशोधन)*

61. श्री धनुष एम कुमार, संसद सदस्य का आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं में संघ सरकार की परीक्षाओं का संचालन विधेयक, 2022

62. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, संसद सदस्य का दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 *(धारा 2 का संशोधन, आदि)*

63. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का युवक कल्याण विधेयक, 2022

64. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का दृष्टिबाधित व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2022

65. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का अनाथ (सरकारी स्थापनों में पदों का आरक्षण और कल्याण) विधेयक, 2022

66. श्री फिरोज वरुण गाँधी, संसद सदस्य का भारतीय रोजगार संहिता, 2022

67. श्री धनुष एम कुमार, संसद सदस्य का भोजन अपव्यय में कमी लाने संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति विधेयक, 2022

68. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 *(अनुच्छेद 312 का संशोधन)*

69. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का अंतर्राष्ट्रीय मराठी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022

70. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का विद्यालयों में शहरी योजना का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2022

71. डॉ. मनोज राजोरिया, संसद सदस्य का रिहायशी स्कूल *(अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए)* विधेयक, 2022

72. डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव, संसद सदस्य का मध्य प्रदेश केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक, 2022

73. डॉ. कृष्णपाल सिंह यादव, संसद सदस्य का उपासना स्थल (*विशेष उपबंध*) निरसन विधेयक, 2022

74. श्री रमेश चन्द बिन्द, संसद सदस्य का पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) संशोधन विधेयक, 2022 *(नई धारा 13क का अंतःस्थापन*)

75. श्री रमेश चन्द बिन्द, संसद सदस्य का दंगों, सांप्रदायिक हिंसा और हिंसक प्रदर्शनों के पीड़ित व्यक्ति (*समान प्रतिकर)* विधेयक, 2022

76. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य का प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (संशोधन) विधेयक,

2022 (*धारा 6 और 16 का संशोधन)*

77. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 *(सातवीं अनुसूची का संशोधन, आदि)*

78. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य का जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन विधेयक, 2022

79. श्री निहाल चन्द चौहान, संसद सदस्य का पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 *(धारा 2 का संशोधन)*

80. श्री हनुमान बेनीवाल, संसद सदस्य का विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 (*नई धारा 126क का अंतःस्थापन)*

81. श्री सुब्रत पाठक, संसद सदस्य का गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले स्नातकों के लिए बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2021

82. श्री सुब्रत पाठक, संसद सदस्य का सुगंध बोर्ड विधेयक, 2021

83. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील, संसद सदस्य का दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2022*(धारा 272 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन, आदि)*

84. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील, संसद सदस्य का मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख (संशोधन) विधेयक, 2022 (*धारा 2 का संशोधन, आदि)*

85. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील, संसद सदस्य का घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 (*धारा 2 का संशोधन, आदि*)

86. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का स्तन कैंसर (*जागरुकता)* विधेयक, 2022

87. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022 *(धारा 2 और 3 का संशोधन)*

88. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, *2022 (अनुच्छेद 239कक का संशोधन)*

89. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य का मछुआरा *(संरक्षण और कल्याण)* विधेयक, 2022

90. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 (*धारा 86 का संशोधन)*

91. डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2021 *(धारा 2 और 3 का संशोधन)*

अपराह्न 4.42 बजे

20. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक - वापस लिया गया

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए 12 जुलाई, 2019 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

@प्रो. एस.पी. सिंह बघेल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने अपने उत्तर के माध्यम से अपनी बात रखी।

सभा की अनुमति से विधेयक वापस लिया गया।

अपराह्न 5.43 बजे

21. गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक - विचाराधीन

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 29कक का अंतःस्थापन)

श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर चर्चा और उनका भाषण अपूर्ण रहा।

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 8 अगस्त, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

@ विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 08 अगस्त, 2022/ 17 श्रावण, 1944 (शक)

संख्या 192

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अध्यक्ष ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए 'भारत छोड़ो' आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्य राष्ट्रपिता की स्मृति और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वालों के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने अपनी ओर से और सभा की ओर से राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल द्वारा अनेक पद जीतने और इन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301 से 308 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न सं. 309 से 320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(एक) कंपनी (कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2018 जो 19 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2022 जो 30 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.400(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 2433(अ) जो 30 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा डॉ. भूषण प्रसाद पांडे को 01 अप्रैल, 2022 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पदधारी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

(चार) का.आ. 2434(अ) जो 30 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा श्री प्रवीन कुमार तिवारी को 28 मार्च, 2022 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए या पदधारी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

(पांच) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2022 जो 26 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 602(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) का.आ. 3376(अ) जो 26 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा सुश्री स्मिता झींगरन को 19 अप्रैल, 2022 (पूर्वाह्न) से, अर्थात जिस तिथि को इन्होंने अपना पद धारण किया या तीन वर्ष की अवधि के लिए उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30 ख, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 की धारा 40 तथा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 222 (अ) जो 26 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 03 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 835 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 2184 (अ) जो 11 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिनके द्वारा 10 मई, 2022 को उस तारीख के रूप में नियुक्त किया गया है जिस दिन चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स, लागत और सकर्म लेखाकार और कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022 के उसमें उल्लिखित उपबंध लागू होंगे।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टिट्यूट, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज़ रिसर्च एंड ट्रेनिंग इस्टिट्यूट, बेंगलुरू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ फोरेस्ट मैनेजमेंट, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 25 की उप-धारा (3) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों) की एक-एक प्रति: -

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग नियम, 2021 (आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 2022 जो 11 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 531(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग नियम, 2021 (वार्षिक लेखा विवरण का प्ररूप) नियम, 2022 जो 4 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 336(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 26 की उप-धारा (3) के तहत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों) की एक-एक प्रति: -

(एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्ररूप और रीति) विनियम, 2021 जो 17 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी-25055/1/2021-एफएंडए में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध आयोग (आयोग का कार्य संचालन और शर्तें एवं शक्तियों के प्रत्योजन की सीमाएं) विनियम, 2021 जो दिनांक 17 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या आर-11011/1/2021-स्था. में प्रकाशित हुए थे।

(7) उपरोक्त (6) की मद संख्या (दो) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 26 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 3194(अ) जो 14 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजमार्ग/विमानपत्तन/पोत/तापीय परियोजना की कतिपय श्रेणी में छूट दी गई है।

(दो) का. आ. 3250(अ) जो 20 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो द्वितीयक धातुकार्मिक प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आने वाले इस्पात पुन:रोलिंग प्रचालनों के बारे में है।

(तीन) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध (संशोधन) नियम, 2022 जो 16 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 133(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 07 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 522(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(9) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 1485(अ) जो 22 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में कालेसर राष्ट्रीय पार्क और कालेसर वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(तीन) का. आ. 3100(अ) जो 30 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में भिंडावास वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(चार) का. आ. 3308(अ) जो 26 अक्तूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में खोल ही रैतन वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(पांच) का. आ. 3516(अ) जो 23 नवम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में बीर शिकारगढ़ वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(छह) का. आ. 68(अ) जो 10 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में खापरवास वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(सात) का. आ. 436(अ) जो 14 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में छिछला वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(आठ) का. आ. 1911(अ) जो 01 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में असोला भाटी वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(नौ) का. आ. 838(अ) जो 16 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

हिमाचल प्रदेश राज्य में दरांगघाटी वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(दस) का. आ. 1813(अ) जो 07 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में मजथल वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(ग्यारह) का. आ. 1858(अ) जो 08 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में शिमला वॉटर कैचमेंट वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(बारह) का. आ. 2404(अ) जो 28 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में रक्षम-चितकुल वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(तेरह) का. आ. 3193(अ) जो 29 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में सेचू तुआन नाला वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(चौदह) का. आ. 3710(अ) जो 22 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में तालरा वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(पद्रंह) का. आ. 277(अ) जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में इंदरकिला वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(सोलह) का. आ. 2774(अ) जो 01 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हिमाचल प्रदेश राज्य में उडवा झील पक्षी पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(सत्रह) का. आ. 2775(अ) जो 01 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में हजारीबाग वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(अठारह) का. आ. 2795(अ) जो 05 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में पारसनाथ वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(उन्नीस) का. आ. 2796(अ) जो 05 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में गौतम बुद्ध वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(बीस) का. आ. 2895(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में कोडरमा वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(इक्कीस) का. आ. 2896(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में लवालौंग वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(बाईस) का. आ. 2897(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में पालकोट वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(तेईस) का. आ. 2898(अ) जो 09 अगस्त, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में पलामु वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(चौबीस) का. आ. 3871(अ) जो 29 अक्तूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर राज्य में जसरोटा वन्यजीव पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(पच्चीस) का. आ. 3528(अ) जो 27 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में दरोजी भालू पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

(छब्बीस) का. आ. 2996(अ) जो 12 सितम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नई दिल्ली राज्य में असोला भाटी पारिस्थितिकी संवेदी अभयारण्य के बारे में है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) मंत्रियों द्वारा पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

पंद्रहवीं लोक सभा			
1.	विवरण सं. 37		पांचवां सत्र, 2010
सोलहवीं लोक सभा			
2.	विवरण सं. 17		तेरहवां सत्र, 2017-18
सत्रहवीं लोक सभा			
3.	विवरण सं. 15		पहला सत्र, 2019
4.	विवरण सं. 11		तीसरा सत्र, 2020
5.	विवरण सं. 10		पांचवां सत्र, 2021
6.	विवरण सं. 9		छठा सत्र, 2021
7.	विवरण सं. 3		सातवां सत्र, 2021
8.	विवरण सं. 3		आठवां सत्र, 2022

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) वर्ष 2021-2022 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा बाजार उधारियों के विवरण की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/77 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/78 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 11 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/79 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (चौथा संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/80 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (दूसरा

संशोधन) विनियम, 2022 जो 27 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/82 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसरंसचना निवेश न्यास) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 04 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/83 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक निवेश योजनाएं) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 10 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/84 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संरक्षक) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/81 में प्रकाशित हुए थे।

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2809(अ) जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो जम्मू-कश्मीर में न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में अभिविहित किए जाने में संशोधन के बारे में है।

(दो) का.आ. 2810(अ) जो 17 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लेह जिले और कारगिल जिले में सत्र न्यायाधीश के न्यायालय, लेह और कारगिल को विशेष न्यायालयों के रूप में अभिविहित किए के बारे में है।

(7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 22 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/76 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आयकर (12वां संशोधन) नियम, 2022 जो 05 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 399(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) आयकर (21वां संशोधन) नियम, 2022 जो 08 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 524(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना संख्या 16/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 11 मार्च, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा

को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ.1166(अ) जो 15 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ वेल्यू के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) अधिसूचना संख्या 18/2022-सी.शु.(एन.टी.) 17 मार्च, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ.1547(अ) जो 31 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना संख्या 32/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 7 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.1824(अ) जो 13 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना संख्या 34/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 21 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अधिसूचना संख्या 36/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 28 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का.आ.2030(अ) जो 29 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) अधिसूचना संख्या 38/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 29 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) अधिसूचना संख्या 40/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 05 मई, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ.2228(अ) जो 13 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ वेल्यू के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) अधिसूचना संख्या 42/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 18 मई, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) अधिसूचना संख्या 43/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 19 मई, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) का.आ.2495(अ) जो 31 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) अधिसूचना संख्या 49/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 02 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का.आ.2755(अ) जो 15 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) अधिसूचना संख्या 51/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 16 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) अधिसूचना संख्या 53/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 28 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक

व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) अधिसूचना संख्या 54/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 29 जून, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ.2960(अ) जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर खाद्य तेलों, ब्रॉस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स संबंधी टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) अधिसूचना संख्या 58/2022-सी.शु.(एन.टी.) दिनांक 07 अप्रैल, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 485(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) कुरियर आयात और निर्यात (इलेक्ट्रोनिक घोषणा और प्रसंस्करण) संशोधन विनियम, 2022 जो 30 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 485(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) नियंत्रित डिलीवरी (सीमा शुल्क) विनियम, 2022 जो 12 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 540(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) डाक द्वारा निर्यात विनियम, 2018 जो 04 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 525(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) बौद्धिक संपदा अधिकार (आयातित वस्तुएं) प्रवर्तन संशोधन नियम, 2018 जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 581(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठाईस) का.आ. 582(अ) जो 22 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2010 की अधिसूचना संख्या 51/2010- सी.शु. (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) सा.का.नि.572(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक की डीईसी टेबलेट से संबंधित आयातों और पेट्रोलियम प्रचालनों से संबंधित वस्तुओं पर आईजीएसटी दरों की सिफारिशों को प्रभावी किया जा सके तथा

एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) सा.का.नि. 573(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 06 जुलाई, 2019 की अधिसूचना संख्या 19/2019- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक की विनिर्दिष्ट रक्षा बलों के आयातों पर बीसीडी संबंधी छूट और आयात संबंधी पर आईजीएसटी दरों की सिफारिशों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) सा.का.नि. 574(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 23 जुलाई, 1996 की अधिसूचना संख्या 51/96- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि माल और सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक की सिफारिशों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) सा.का.नि. 587(अ) जो 20 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 30 अप्रैल, 2022 की अधिसूचना संख्या 22/2022- सी.शु. को और संशोधित करना है ताकि टीआरक्यू धारकों को भारत-यूएई सीईपीए की टीआरक्यू प्रणाली के अंतर्गत आईआईबीएक्स के जरिए स्वर्ण आयात में सक्षम बनाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तैंतीस) सा.का.नि. 598(अ) जो 23 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका आशय 13 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 49/2021- सी.शु. को संशोधित करना है ताकि दाल (मसूर) पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) की वर्तमान शून्य दर को 31 मार्च, 2023 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलत है, विस्तारित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(10) उपर्युक्त (9) की मद सं. (छब्बीस) से (अट्ठाईस) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2022 जो 30 अप्रैल, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 329(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2022 जो 20 मई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 373(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2018 जो 19 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 177(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सीमाशुल्क टैरिफ (कम विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ प्राथमिकता योजना के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2015 जो 10 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 179(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सीमाशुल्क टैरिफ (भारत गणराज्य और जापान के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत वस्तुओं के उद्गम का निर्धारण) नियम, 2011 जो 1 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 594(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(12) उपर्युक्त (11) की मद सं. (3) से (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 550(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 13/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि 28 और 29 जून, 2022 को हुई जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 553(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 556(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 559(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 5/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 562(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 2/2022-केंद्रीय कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 565(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-केंद्रीय कर (दर) को

संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 568(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 10/2019-केंद्रीय कर को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 569(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 14/2019-केंद्रीय कर को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 551(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 554(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 557(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 3/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 560(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 5/2017-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 563(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 2/2022-एकीकृत कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 566(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 47/2017-एकीकृत कर (दर) को निरस्त करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(15) संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 552(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 555(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 558(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 3/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 561(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 5/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 564(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 31 मार्च, 2022 की अधिसूचना सं. 2/2022-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 567(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 14 नवम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 45/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर (दर) को निरस्त करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 570(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 2/2019-संघ-राज्यक्षेत्र कर को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 571(अ) जो 13 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017-संघ-राज्यक्षेत्र कर को संशोधित करना है ताकि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक में यथासंस्तुत कतिपय वस्तुओं की दरों में परिवर्तनों को प्रभावी किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(16) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 579(अ) जो 15 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017 को संशोधित करना है ताकि उक्त अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट तारीख के अंत तक क्षेत्रीय संयोजकता योजनाओं (आरसीएस) के कतिपय विनिर्दिष्ट मार्गों के लिए प्रचालकों और कार्गो प्रचालकों द्वारा लिए गए एटीएफ पर उत्पाद शुल्क की छूट दर को विस्तारित किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(17) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-2022 के अंत में बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय में प्रवृत्तियों की अर्द्धवार्षिक समीक्षा संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-संघ-राज्यक्षेत्र वित्त संबंधी जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 2)।

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 5) (अप्रत्यक्ष कर-माल और सेवा कर) राजस्व विभाग।

(तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 6) (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर) -रत्न और आभूषण क्षेत्र के निर्धारितियों के निर्धारण संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा।

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 15) (अनुपालन लेखापरीक्षा) - वित्त और संचार।

(पांच) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार (रेल) (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 16) -भारतीय रेल में अवशिष्ट प्रबंधन का निष्पादन लेखापरीक्षा।

(छह) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (सिविल) (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 17) -सीजीएचएस में दवाओं का क्रय और आपूर्ति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का निष्पादन लेखापरीक्षा।

(सात) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (सिविल) (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 10) (निष्पादन लेखापरीक्षा)- स्मारकों और पुरावशेषों का परिरक्षण और संरक्षण, संस्कृति मंत्रालय की निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई।

(आठ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 4) (निष्पादन लेखापरीक्षा)-तटीय पारितंत्रों का संरक्षण, पर्यावरण, वन्य और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की निष्पादन लेखापरीक्षा।

(नौ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन-संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 12) (राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर)

- दातव्य न्यास और संस्थानों को छूट संबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा।

(दस) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2019-2020 के लिए प्रतिवेदन- संघ सरकार (2022 का प्रतिवेदन संख्यांक 18) - राजवित्तीय और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 का अनुपालन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय।

(19) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार-वर्ष 2020-2021 के लिए विनियोग लेखे।

(दो) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार-वर्ष 2020-2021 के लिए वित्त लेखे (खण्ड-एक)।

(तीन) जम्मू-कश्मीर संघ-राज्यक्षेत्र सरकार-वर्ष 2020-2021 के लिए वित्त लेखे (खण्ड-दो)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर, पटियाला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरूता) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवपलमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवपलमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपुर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखण्ड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (समग्र शिक्षा), लखनऊ के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड (समग्र शिक्षा), लखनऊ के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) समग्र शिक्षा - दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, सिलवासा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा - दादरा और नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, सिलवासा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोनीपत के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कल्याणी के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रोहतक, रोहतक के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, शिमला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) विश्व-भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) (एक) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरूक्षेत्र के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(49) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(51) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(53) (एक) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(55) (एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(57) (एक) डॉ.बी.आर.अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) डॉ.बी.आर.अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(59) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, सिलचर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(60) उपर्युक्त (59) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) उपर्युक्त (61) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(64) उपर्युक्त (63) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(65) (एक) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(66) उपर्युक्त (65) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(67) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(68) उपर्युक्त (67) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(69) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, मोहाली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(70) उपर्युक्त (69) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(71) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 28 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त और दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम तथा ऑनलाइन कार्यक्रम) विनियम, 2022 जो 18 जुलाई, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.1-27/2021 (डीईबी-1) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1985 द्वारा यथासंशोधित भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 40 की उप-धारा (4) के अंतर्गत वर्ष 2021-2022 के लिए भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2021-2022 के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 2021-2022 के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(तीन) वर्ष 2021-2022 के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(चार) वर्ष 2021-2022 के लिए पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(पांच) वर्ष 2021-2022 के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(छह) वर्ष 2021-2022 के लिए यूको बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(सात) वर्ष 2021-2022 के लिए बैंक ऑफ बडौदा के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(आठ) वर्ष 2021-2022 के लिए केनरा बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(नौ) वर्ष 2021-2022 के लिए इंडियन बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(दस) वर्ष 2021-2022 के लिए बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(ग्यारह) वर्ष 2021-2022 के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकरण और कार्यकलापों से संबंधित प्रतिवेदन और लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त मद संख्या (2) में उल्लिखित बैंकों के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि 4 अगस्त, 2022 को हुई अपनी बैठक में, राज्य सभा लोक सभा द्वारा यथापारित कुटुम्ब न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

7. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'भारत में नागर विमानन क्षेत्र की वृद्धि और देश के विभिन्न भागों में विमानपत्तनों के विकास के लिए मानव पूंजीगत और भौतिक अवसंरचना की आवश्यकता' विषय संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(2) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 'भारतमाला परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के प्राक्कलन और कार्यकरण' के बारे में प्राक्कलन समिति (17वीं लोक सभा) के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(3) वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) से संबंधित 'सरकारी व्यय के बेहतर प्रबंधन के लिए हाल के बजटीय सुधार' के बारे में प्राक्कलन समिति (17वीं लोक सभा) के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

8. लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने लोक लेखा समिति (2022-23) का 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग पर आधिक्य (2019-20)' संबंधी 53वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री बैन्नी बेहनन ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का 8वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रोड़मल नागर ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 10वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन।

(2) 'पीएनजी और सीएनजी सहित राष्ट्रीय गैस ग्रिड' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 11वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

11. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन

श्री रमाकान्त भार्गव ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के 'कोविड प्रबंधन के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरण की उपलब्धता' संबंधी 31वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी समिति के 32वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 36वां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी समिति के 33वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वां प्रतिवेदन।

(4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' संबंधी समिति के 34वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 38वां प्रतिवेदन।

12. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कानुमुरू रघु राम कृष्ण राजू ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'संरक्षकता और दत्तक विधियों की समीक्षा' विषय संबंधी 118वां प्रतिवेदन।

(2) 'भारत सरकार के शिकायत निपटान तंत्र का सुदृढ़ीकरण' संबंधी समिति के 111वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 119वां प्रतिवेदन।

***13. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के कार्यवाही सारांश**

श्री रवनीत सिंह ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 04.04.2022 और 03.08.2022 को हुई क्रमश: सातवीं और आठवीं बैठक के कार्यवाही सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

---

* अपराह्न 12.44 बजे

अपराह्न 12.06 बजे

14. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम, और निवेश तथा लोक आस्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी वित्त संबंधी स्थायी समिति के 40वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्रालय से संबंधित 'संग्रहालयों और पुरातत्वीय स्थलों का विकास और संरक्षण - चुनौतियां और अवसर' संबंधी विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 294वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-2022) संबंधी श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 19वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

(4) रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी विभाग से संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 288वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 298वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

[%]अपराह्न 12.11 बजे

15. सरकारी विधेयक - पुर:स्थापित

विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री आर.के. सिंह ने विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने के लिए सभा की अनुमति मांगी।

निम्नलिखित सदस्यों ने विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा:-

1. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
2. श्री मनीश तिवारी
3. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़

[%] अपराह्न 12.31 बजे से अपराह्न 1.12 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

4. श्री अधीर रंजन चौधरी
5. श्री टी.आर. बालू
6. प्रो. सौगत राय

विद्युत मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री आर.के. सिंह) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुर:स्थापित किया गया।

विद्युत मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री आर.के. सिंह) ने अनुरोध किया कि विधेयक को संबंधित विभाग से संबद्ध स्थायी समिति को सौंपा जाए।

इस पर, अध्यक्ष ने विधेयक को संबंधित विभाग से संबद्ध स्थायी समिति को सौंपे जाने के बारे में घोषणा[&] की।

(लोक सभा अपराह्न 1.12 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत हुई।)

अपराह्न 2.15 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) डॉ. कृष्ण पाल सिंह यादव द्वारा चंदेरी में एनआईएफटी केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री सुरेश पुजारी द्वारा झारसुगुड़ा और बरगढ़ में नए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को खोले जाने के बारे में।

(3) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय के लिए भवन निर्माण के बारे में।

(4) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा तपन ब्लॉक, बलूरघाट में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना के बारे में।

(5) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र समपार संख्या 143 पर उपरिपुल के निर्माण के बारे में।

(6) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार में दरभंगा-मुजफ्फरपुर रेल लाइन के निर्माण के बारे में।

(7) डॉ. सुजय राधाकृष्णन विखेपाटील द्वारा शिरडी के लिए उड़ानों के बारे में।

(8) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा गुजरात के भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के बारे में।

(9) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बनाए जाने के बारे में।

[&] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(10) श्री गुमान सिंह दामोर द्वारा मध्य प्रदेश के रतलाम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल योजना के बारे में।

(11) श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ द्वारा गुजरात में वेजलपुर स्थित केंद्रीय बागवानी प्रयोग स्टेशन का राष्ट्रीय जनजातीय बागवानी संस्थान के रूप में स्तरोनयन के बारे में।

(12) श्री अजय निषाद द्वारा गंगा, गंडक एवं अन्य नदियों के किनारे स्थित शहरों में स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में।

(13) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा सहारा समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों का धन वापस किए जाने के बारे में।

(14) श्री कुंबाकुडी सुधाकरन द्वारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नीति के खंड 28 के बारे में।

(15) डॉ. मोहम्मद जावेद ने राष्ट्रीय सीमांचल बाढ़ प्रबंधन बोर्ड की स्थापना के बारे में।

(16) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) को वापस लिए जाने के बारे में।

(17) प्रो. सौगत राय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में संशोधनों के बारे में।

(18) डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती द्वारा अनकापल्ले में केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में।

(19) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा बिहार के जहानाबाद में एलिवेटेड जंक्शन और रेल उपरिपुल के निर्माण के बारे में।

(20) श्री गिरीश चन्द्र द्वारा अजा, अजजा एवं अपिव के कल्याण हेतु बनाए गए आयोगों में रिक्तियों के बारे में।

(21) श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा ओस्टोमी के मरीजों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जीवन रक्षक उपकरणों के बारे में।

अपराह्न 2.15 बजे

17. सरकारी विधेयक - पारित

ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022

आबंटित समय: 4 घंटे
लिया गया समय: 3 घंटे 47 मिनट

श्री आर.के. सिंह द्वारा 05 अगस्त, 2022 को पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. डॉ. गौतम सिगामणि पोन
3. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
4. श्री राजीव प्रताप रूडी
5. श्री कनी के. नवस
6. श्री हसनैन मसूदी
7. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद

8. श्री अनुभव मोहंती
9. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
10. श्री गौरव गोगोई
11. डॉ. मनोज राजोरिया
12. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे

श्री आर.के.सिंह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 और 5 स्वीकृत हुए।

खंड 6 स्वीकृत हुआ।

खंड 7 स्वीकृत हुआ।

खंड 8 और 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 स्वीकृत हुआ।

खंड 11 स्वीकृत हुआ।

खंड 12 से 18 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री आर.के. सिंह द्वारा विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 4.33 बजे

18. सरकारी विधेयक - पारित

नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केन्द्र (संशोधन) विधेयक, 2022

आबंटित समय: 2 घंटे
लिया गया समय: 58 मिनट

श्री किरेन रिजीजू द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. अमर सिंह
2. श्री रमेश बिधूड़ी
3. प्रो. सौगत राय
4. डॉ. वीरास्वामी कलानिधि
5. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
6. कुंवर दानिश अली
7. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
8. श्री हसनैन मूसदी
9. श्री हनुमान बेनीवाल
10. डॉ. निशिकांत दुबे

श्री किरेन रिजीजू ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 15 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्री किरेन रिजीजू द्वारा विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 5.31 बजे

19. अध्यक्ष द्वारा घोषणा*

अध्यक्ष ने भारत के माननीय उपराष्ट्रपति के बालयोगी सभागार में आयोजित विदाई समारोह के बारे में घोषणा की।

अपराह्न 5.32 बजे

20. विदाई संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के नौवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

अपराह्न 5.38 बजे

21. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

अपराह्न 5.39 बजे

(लोक सभा अपराह्न 5.39 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।